हमारी कहानी
हमारी जुबानी

महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच, उत्तर प्रदेश

हमारी कहानी
हमारी ज़ुबानी

2006 - 2011
पाँच सालों का सफरनामा

महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच, उत्तर प्रदेश
सचिवालयः सहयोग, ए – 240, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
फोन : 0522 – 2310860, 2310747, फैक्स : 0522 – 2341319
ई–मेलः kritirc@sahayogindia.org

फोटो
कृति रिसोर्स सेन्टर
रेचल (इर्न्टन)

रूपसज्जा
मनीषा पांडे व अंजु साह

मुद्रक
कियेशन ग्राफिक्स, लखनऊ

प्रतियों के लिए सम्पर्क करें
ए–240 इन्दिरानगर
लखनऊ–226016
दूरभाषः 0522 2310747, 2310860
फैक्सः 0522–2341319
ई–मेलः kritirc@sahayogindia.org

यह पुस्तक उन सभी संघर्षशील महिलाओं को समर्पित की जाती है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में महिला स्वास्थ्य और अधिकारों के सपनों को साकार बनाने में पुरज़ोर ताकत लगायी है।

आभार

“महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच के पाँच साल पूरे होने के साथ–साथ महिलाओं के संघर्ष की सफलताओं पर आधारित पुस्तक ‘हमारी कहानी हमारी जुबानी’ के मुद्रण में महेन्द्र कुमार, शकुन्तला जोशी, संध्या मिश्रा, सुनीता शाही, अंकिता मुखर्जी, सुनीता सिंह, एकता सिंह, तिथि नन्दी, वाई0 के0 संध्या, सुनील मौर्या, प्रवेश वर्मा, शिशिर चन्द्र, मनीषा पाण्डे और जशोधारा दासगुप्ता ने विशेष योगदान दिया जिसके लिए आभार प्रकट किया जाता है।

साथ ही इसके अलावा साथी संस्थायें शिखर प्रशिक्षण संस्थान मिर्जापुर, पूर्वांचल ग्राामीण सेवा संस्थान कुशीनगर, बाबा राम करन दास ग्रामीण विकास समिति गोरखपुर, तरुण विकास संस्थान बांदा, इब्तेदा संस्थान चित्रकूट, इसके साथ ‘महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच’ की महिलाओं ने भी अपना बहुमूल्य सहयोग दिया। जिसके लिए सभी को आभार प्रकट किया जाता है।

पुस्तक के मुद्रण के लिये वित्तीय सहायता डेनिडा व ऐरो ने किया जिसके लिए डेनिडा व ऐरो का बहुत–बहुत आभार।”

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	9
2.	उत्तर प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य – आंकड़े क्या कहते हैं?	11
3.	महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच के सफल हस्तक्षेप	17
	• अन्टाइड फण्ड के इस्तेमाल से झम्मन ने बचाई फूलकुमारी की जान	17
	• चमेलिया के संघर्ष से मिली पहचान	19
	• गुड्डी देवी ने जीता चुनाव	21
	• स्वास्थ्य सेवा के लिये मंच की महिलाओं की आवाज	22
	• नथिया की पहल	23
	• मंच की पहल से 1 वर्ष बाद मिला 'जननी सुरक्षा योजना' का पैसा	24
	• महिला सगंठन के प्रयासों से कराया गया सुरक्षित प्रसव	26
	• उपकेन्द्र में सुधार और ए.एन.एम. का भ्रष्टाचार	27
	• कई महीनों बाद 10 महिलाओं को मिला ''जननी सुरक्षा योजना'' का पैसा	29
	• भोलिया के बढ़ते कदम	30
4.	महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच द्वारा निगरानी के विभिन्न प्रयास	31
5.	महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच के प्रयासों का असर	40
6.	महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की महिलाओं की क्षमता वृद्धि हेतु विभिन्न अवसर	48
7.	परिशिष्ट	51

प्रस्तावना

महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच का गठन 26 मई 2006 को हुआ और आज उसके पाँच साल पूरे हो रहे हैं। मंच के महिलाओं और नेत्रियों ने कई कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ का सामना किया, और अपने संघर्ष और हिम्मत से कुछ सफलताएँ हासिल की। यह किताब कुछ उन्हीं के शब्दों में एक सफरनामा है, जिसे पढ़कर शायद और लोगों को प्रेरणा मिले।

हालांकि मंच का गठन 2006 में हुआ, लेकिन उसके पहले 2003 से उत्तर प्रदेश की 6–7 स्वैछिक संस्थाएं मिलकर मातृत्व स्वास्थ्य और अधिकारों पर कार्य कर रही थी इसके अंतर्गत, गाँव की महिलाओं के साथ ग्राम–स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित हुए जिससे महिलाओं ने सुरक्षित मातृत्व के बारे में सीखा, और वर्तमान स्वास्थ्य सेवाओं का विश्लेषण करना सीखा। 2006 में इन्ही महिलाओं का विचार था की एक बड़ा अभियान चलाना चाहिए ताकि अत्याधिक मातृत्व मृत्यु के विषय पर उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा सके। महिलाओं ने इसका नाम रखा **पूरी नागरिक पूरा हक– द्वितीय चरण** और इसमें तमाम गतिविधियाँ हुई, एवं 30,000 महिलाओं के साथ हस्ताक्षर अभियान चलाकर स्वास्थ्य मंत्री को दिया गया, तथा संसद में जाकर जन प्रतिनिधियों को समझाने का प्रयास किया गया। अभियान के अंत में इस प्रयास को उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक जारी रखने के लिए महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच का गठन 26 मई 2006 को किया गया।

संयोगवश इन्हीं दिनों में भारत का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी घोषित हुआ, जो पहली बार विशेष रूप से ग्रामीण लोगों के लिए गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करने का प्रयास है। साथ ही कार्यक्रम यह सोच रखता है कि समुदाय को इन स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी के लिए सक्रिय रूप से शामिल किया जाए।

परन्तु ग्रामीण गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को गुणवत्तापरक बनाना और भ्रष्टाचार हटाना एक बहुत बड़ा संघर्ष है, जिससे पिछले पांच सालों से महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की महिलाएं पूरी हिम्मत के साथ जूझ रही हैं। सहयोग एवं साथी संस्थाओं ने सामुदायिक तथा राज्य स्तर पर मंच की नेतृत्वकारी महिलाओं की लगातार की गई क्षमतावृद्धि ने उन्हें अपने स्थानीय सेवाओं की निगरानी के लिए सक्षम बनाया। साथ ही जिलों में, तथा राज्य की राजधानी लखनऊ में, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की पैरोकारी करने के लिए उन्हें कई अवसर उपलब्ध कराया।

इसका परिणाम यह हुआ कि महिलाओं ने अपने स्तर पर छोटे–छोटे प्रयास करना शुरू किया ताकि ग्रामीण महिलाओं को उचित स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल सके और पैसे की नाजायज मांग न हो जो की गरीबों

के लिए एक बड़ा अवरोध पैदा करता है। साथ ही उन्होंने अपने गाँवों में प्रधान और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ भी सहयोग करने की कोशिश की ताकि स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थानीय सेवाओं का बेहतरीकरण सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि काफी बाधाएं सामने आईं, महिलाओं ने लगातार प्रयास किया, और कुछ ऐसे सफल प्रयासों की कहानियाँ इस किताब में हैं।

साथ ही हर साल, महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच ने स्थानीय स्वास्थ्य और पोषण व्यवस्था पर निगरानी रखी, ताकि सेवाएं सबको मिल सकें। इसमें मुख्य–मुख्य प्रयास थे –

- जननी सुरक्षा योजना में भ्रष्टाचार और अस्पतालों से गर्भवतियों के अनुभव 2007
- ग्राम स्वास्थ्य समिति द्वारा अनटाइड फण्ड के इस्तेमाल की निगरानी 2008
- आस पास हो रहे मातृत्व मृत्यु की घटना अथवा घोर लापरवाही की कई घटना 2009
- स्वास्थ्य उपकेन्द्र की निगरानी, भारतीय जन स्वस्थ्य मानक के आधार पर 2010
- अपने आंगनबाड़ी केन्द्रों की निगरानी खास कर गर्भवती महिला और किशोरी लड़कियों के लिए पोषाहार वितरण 2011

प्रत्येक वर्ष 28 मई को मंच की सैकड़ों महिला नेत्रियों ने लखनऊ आकार सरकारी स्वास्थ्य अधिकारियों, प्रशासकों और निर्वाचित नेताओं के सामने अपने दूर दराज के गाँव के अनुभवों को रखा और अपने सुझाव प्रस्तुत किये। इसी तरह, प्रत्येक वर्ष, हजारों महिलाओं ने स्थानीय जिला संवादों में भाग लिया जहाँ उन्होंने अपने निगरानी के आंकड़ों को स्वास्थ्य अधिकारियों, प्रशासकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सामने जमीनी सुझाव के रूप में प्रस्तुत किया। इसके माध्यम से उन्होंने भविष्य में भी सरकार के साथ सहयोग का एक भरोसेमंद माहौल का निर्माण किया।

इस पाँच सालों का सफरनामा यह साबित करता है कि गाँव की गरीब निरक्षर महिलाऐं भी बहुत सक्षम हैं, अपने अधिकारों की समझ से वे सशक्त बन सकती हैं, और अपने हकों के लिए अपनी आवाज कहीं भी उठा सकती हैं। अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए वे संगठित होकर बेहतर सेवाओं की मांग हर जगह कर सकती है, और नीति निर्धारकों को उपयुक्त सुझाव भी दे सकती हैं।

आपके आगे इस किताब को रखने में हमें बहुत गर्व है और हम उम्मीद करते हैं कि इस किताब को पढ़कर ऐसे प्रयास उत्तर प्रदेश के अन्य गाँव में, अन्य जिलों में और भारत के अन्य राज्यों में अवश्य शुरू होंगे।

सहयोग संस्था और उत्तर प्रदेश की सभी साथी संस्थाएं (संकल्प सामाजिक संस्थान,जौनपुर, अस्तित्व सामाजिक संस्थान, मुजफ्फरपुर, ग्रामीण पुर्ननिर्माण संस्थान,आजमगढ़, पूर्वांचल ग्रामीण सेवा संस्थान, कुशीनगर, असीसी हेल्थ सेन्टर, बरेली, शिखर प्रशिक्षण संस्थान, मिर्जापुर, बाबा रामकरनदास ग्रामीण विकास समिति, गोरखपुर, तरूण विकास संस्थान, बांदा, ग्राम्या संस्थान, चंदौली, इब्तेदा संस्थान, चित्रकूट)

उत्तर प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य - आंकड़े क्या कहते हैं

जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह बढ़ती हुयी जनसंख्या की वजह से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य छिप जाते है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं की दशा, जिनमें मुख्य रूप से मातृत्व व बाल स्वास्थ्य को अनदेखा किया जाता रहा है।

मातृत्व मृत्यु अनुपात– यह सूचित करता है, कि कितनी महिलाएं गर्भावस्था और बच्चा पैदा करने से जुड़े हुये कारणों की वजह से मर सकती है। रजिस्ट्रार जनरल, भारत के ताजा आँकड़ों के अनुसार (2004–2006 के मध्य जन्म पर आधारित), उत्तर प्रदेश में प्रत्येक एक लाख जन्म पर 440 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। यही संख्या 2001–03 में 517 थी और 1995 में यह 707 थी। पहले की तुलना में मातृ मृत्यु दर के घटने के बावजूद उत्तर प्रदेश में, प्रति वर्ष बीस से तीस हजार महिलाओं की मातृ मृत्यु हो जाती है, और पाँच लाख से अधिक महिलाएं जिन्दगी के जोखिम का सामना करती हैं।

गर्भावस्था और जन्म देने के दौरान महिलाओं की मृत्यु क्यों हो जाती है ?

38 प्रतिशत – रक्त स्राव
11 प्रतिशत – रक्त विषाक्ति
8 प्रतिशत – गर्भपात
5 प्रतिशत – उच्च रक्त चाप
5 प्रतिशत – प्रसव वेदना
34 प्रतिशत – अन्य कारण

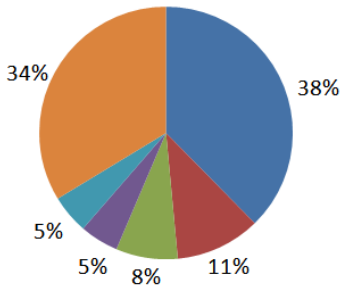

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2005–06 के अनुसार सम्पूर्ण भारत की तुलना में उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने जो मातृत्व स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की। इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेष की महिलाओं ने सम्पूर्ण भारत की तुलना में कम सुविधाएं प्राप्त की।

सूचक का प्रतिशत	भारत	उत्तर प्रदेश
पहली तिमाही में ए0 एन0 सी0 की विजीट	43.9	25.7
भार मापन	63.2	20.9
रक्त चाप मापन	63.8	25.6
मूत्र के सैम्पल की जाँच	58.1	24.7
रक्त के सैम्पल की जाँच	59.5	22.1
पेडू की जाँच	72	43.1
जब कठिनाई आये तो कहाँ सम्पर्क करे बताया गया	41.1	18.9

- प्रत्येक दूसरी किशोरी बालिका खून की कमी से ग्रसित है
- लगभग 64 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 18 साल की उम्र तक हो जाता है
- लगभग 49 प्रतिशत महिलाओं का भार 45 किलोग्राम से कम है।

सन्दर्भ– स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश, दिसम्बर 2005, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य योजना आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य के–

- 3660 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में से केवल 325 पी.एच.सी. ऐसी है जहाँ तीन नर्से कार्यरत है।
- 615 पी.एच.सी. को 24x7 दिन काम करते माना गया उनमें से 45.5% ही 24x7 दिन काम कर रही थी।
- इन में से केवल 17% में रेफरल सेवायें थी।
- 20% पी.एच.सी. ऐसी थी जहाँ पर माह में 10 प्रसव से कम हुए थे ।
- केवल 55 सी.एच.सी. 24X7 काम कर रही थी, जिनमें से 23 पहली रेफरल ईकाई के रुप में काम करती है जहाँ आपातकालीन प्रसव संबंधित सेवायें मौजूद है।
- जो सी.एच.सी. पहली रेफरल ईकाई के रुप में काम कर रही थी उन 23 में से केवल 5.7% पर ही सिजेरियन ओपरेशन की व्यवस्था पायी गई और केवल 1.3% पर रक्त भण्डारण की सुविधा पायी गई।

सन्दर्भ– डी.एल.एच.एस–3 2007–2008 के अनुसार

इन आँकड़ों से पता चलता है कि चाहे उत्तर प्रदेश में संस्थागत प्रसव की संख्या बढ़ गयी है, परन्तु ज्यादातर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जटिलताओं का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं तथा उपयुक्त संख्या में प्रसव नहीं करा रहे हैं। साथ ही बहुत कम ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जहाँ पर आपातकालीन प्रसव सम्बन्धित सेंवाएं, सीजेरियन आपरेशन व रक्त भण्डारण की सुविधाऐं मौजूद है, जो कि मातृत्व स्वास्थ्य संबंधित जटिलताओं से जूझने के लिए जरुरी है।

उत्तर प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य – ग्रामीण महिलाओं के अनुसार पहले की स्थिति

निन्नलिखित विवरण उत्तर प्रदेश के कई जिलों के बहुत से गाँवों में महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच के गठन से पहले की स्थिति और हालत से संबंधित है। मंच के गठन से पहले प्रदेश के कई जिलों के इन सभी गाँवों में महिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति काफी मिलता जुलता बताया गया है, ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं को जिस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था वो उल्लेखनीय है।

गाँव में स्वास्थ्य सुविधाएँ – गाँव में मंच गठित होने के पहले महिलाओं को स्वास्थ्य के मुद्दो पर कोई जानकारी नही थी और न ही कोई बताने वाला था।

जनपद चित्रकूट के कर्वी ब्लाक अर्न्तगत ग्राम डिलौरा में सड़क व आवा–गमन की कोई उचित सुविधा न होने के कारण ज्यादातर प्रसव गाँव में ही होते थे। किसी विशेष परिस्थितियों में घर के लोग

प्रसव के लिए उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाते थे। रात में महिलाओं को अस्पताल तक ले जाने की कोई व्यवस्था नही थी इसलिये अक्सर उन्हे सुबह होने का इन्तजार करना पड़ता था और बहुत तकलीफ उठानी पड़ती थी।

> जनपद चित्रकूट के कर्वी ब्लॉक के अर्न्तगत ग्राम छछेरिया जनपद मुख्यालय से 20 किमी0 दूर है। जिला मुख्यालय से दूर बीहड़ के इस गाँव में किसी भी तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को नही मिल पाता था क्योंकि गांव में डकैतों का डर था। सरकारी कर्मचारी भी डकैतो की वजह से गांव आने में डरते थे। छछेरिया में मंच की अध्यक्ष कुन्ती की बेटी ननकी के प्रसव पीड़ा होने पर, मंच की तीन–चार महिलाएं भौरी स्थित प्राईवेट डाक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने ननकी को देखने के बाद कहा कि बच्चा टेढ़ा है, इसे जिला अस्पताल ले जाओ।
>
> उसके बाद मंच की महिलाएँ ननकी को लेकर तुरन्त जिला अस्पताल कर्वी के लिए चल दी। लेकिन ननकी को रास्ते में ही प्रसव हो गया। प्रसव के बाद मंच की महिलाएं ननकी को लेकर जिला अस्पताल गई, लेकिन नर्स ने भर्ती करने से मना कर दिया और कहा, कि इसको रास्ते में बच्चा हुआ है, और तुम लोग पैसे के लिए यहाँ आई हो। मंच की महिलाओं ने बहुत हाथ जोड़े और कहा, कि आप ननकी को देख लीजिए, दवा कर दीजिए हमें चेक नही चाहिये। काफी अनुरोध करने के बाद नर्स ननकी को भर्ती करने के लिए तैयार हुई। ननकी को भर्ती करने के बाद नर्स ने इलाज किया और बोली कि 'जननी सुरक्षा योजना' का लाभ इसे यहां से नही मिल सकता क्योंकि इसका कार्ड रामनगर से बना है, इसलिए इसे वहीं लेकर जाओ।

मिर्जापुर से 50 किमी0 दूर राजगढ़ ब्लाक के अन्तर्गत पहाड़ो के लोगों के खराब आर्थिक स्थिति, कुपोषण व स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की असंवेदनशीलता के कारण बच्चे व महिलाएं अनेक बीमारियों से जूझते रहते थे। सरकार द्वारा गाँव में जो स्वास्थ्य कर्मी तैनात थे, ए0एन0एम0 वो भी कभी दो–तीन महीने में गांव आती तथा आयरन की गोली व बुखार आदि की कुछ छोटी मोटी दवा देकर चली जाती थी। गांव में ए0एन0एम0 के बारे में कुछ ही लोगों को पता था। जब कभी ए0एन0एम0 गांव में आती थी तो वह अक्सर पैसे वाले लोगों के घरों में ही बैठती थीं।

पहाड़ो में गांव से 3 किमी0 दूर स्थित उपस्वास्थ्य केन्द्र तक महिलाएं बहुत ही कम जाती थी क्योंकि उपस्वास्थ्य केन्द्र अक्सर बन्द मिलता था, इससे महिलाओं को बहुत परेशानी होती थी। राजगढ़ ब्लाक के उपस्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दोनो ही जगहों पर नर्सो व ए0एन0एम0 का व्यवहार बहुत ही खराब रहता था। मनमाने पैसा न मिलने के कारण नर्स व ए0एन0एम0 ठीक से देखभाल व इलाज भी नही करती थी तथा कुछ कहने पर सीधे एक जवाब मिलता कि जाओ मिर्जापुर ले जाओं, जो कि गांव से 45 किमी0 दूर है। ए0एन0एम0 के व्यवहार व अस्पतालों की इन सब परिस्थितियों से अक्सर महिलाएं अपनी बीमारियों को अपने अन्दर ही दबा जाती थी।

जनपद गोरखपुर के जंगल कौड़िया ब्लाक में **'ए0एन0एम0 अगर आती थी तो प्रधान जी के घर तक ही आती थी या बड़े लोगों के घर से होकर वापस चली जाती थी।'** कोई पूछने वाला ही नही होता था कि पूरे गाँव

में क्यों नहीं जाती। प्रधान से बात करने पर वो कहते कि 'हम क्या करें? आप लोग खुद बात करो।' गरीब परिवारों की गर्भवती महिलाओं व बच्चों को समय पर टीके नही लग पाते थे। जिन लोगों को ए0एन0एम0 टीके लगाती थी उनसे प्रत्येक टीके का 10 रू0 लेती थी।

जिला कुशीनगर के उपकेन्द्र में प्रसव कराने के नाम पर खुसराना के तौर पर ए.एन.एम. जिससे जितना पैसा ले पाती थी वो मांगती थी, तथा मजबूरी में महिलाएं देने के लिए बाध्य भी होती थी। ए0एन0एम0 हमेशा आशा पर दबाव बनाकर रखती थी ताकि अपने मनमर्जी के मुताबिक काम करा सकें। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जब कोई महिला प्रसव के लिए जाती थी तो वहां भी ए0एन0एम0 पैसे की मांग करती थी और जब तक उन्हें पैसा न मिल जाय तब तक कोई न कोई बहाना बनाती रहती थीं। डॉक्टर लोग न तो ठीक से सुनते थे और न ही ठीक से इलाज करते थे, व सारी दवाईया बाहर से ही खरीदनी पड़ती थी। कई बार ठीक से इलाज न हो पाने, तथा डाक्टरों की लापरवाही से महिलाओं की और बच्चों की मौत भी हो जाती थी।

जिला बांदा में महिलाएं जब कभी किसी समस्या को लेकर ए0एन0एम0 के पास जाती थी, तो वह भी तरह–तरह के बहाने बना देती थी और महिलाओं को मानना पड़ता था। ए0एन0एम0 द्वारा 300–500रू0 मांगा जाता था और पूरी जानकारी न होने पर और मजबूरी के कारण महिलाओं को पैसा देना पड़ता था। अगर कोई महिला पैसे नही दे पाती थी तो ए0एन0एम0 उसे 10 किमी0 दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अतर्रा या फिर 40 किमी0 दूर जिला अस्पताल बांदा जाने के लिए सलाह देती थी। इलाज में लगने वाली सारी दवाईयाँ महिलाओं को बाहर से खरीदना पड़ता था। जिला अस्पताल गांव से दूर है वहाँ महिलाओं के लिए पहुंचना और भी ज्यादा मुश्किल होता था। रात में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हमेशा बन्द रहता था जिससे महिलाओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जरूरत के समय डॉक्टर से मुलाकात नही हो पाती थी। अस्पताल में नर्स 500रू0 से नीचे बात ही नही करती थी। फिर नर्सो व डॉक्टरों के हाथ–पैर जोड़ने पर थोड़ा बहुत पैसा कम कर दिया जाता और वहीं इलाज करवाया जाता।

आशा कर्मी का असहयोग – जब आशा के बारे में जानकारी हुई, तो जरूरत पड़ने पर आशा को सूचना देने के बावजूद वो नही आती थी। गाँव स्तर पर नियुक्त आशा भी ए0एन0एम0 के नक्शे पर चलती थी। जब कभी कोई महिला प्रसव के लिए अस्पताल जाती थी तो आशा पता लगाकर अस्पताल पहुंच जाती थी और नर्सो से कहती थी यह केस मै लेकर आई हूँ तथा प्रसव के पहले और बाद कभी हालचाल लेने भी नही आती थी।

जनपद गोरखपुर के जंगल कौड़िया ब्लाक में आशा तो कभी घर से ही नही निकलती थी क्योंकि वह प्रधान की रिश्तेदार थी। जब गाँव में किसी महिला को कोई ज्यादा दिक्कत होती और बार–बार आशा

को उसकी सूचना देते थे तब आशा का देवर जो पंचायत कर्मी है, उस महिला को अस्पताल तक ले जाता था। मिर्जापुर के राजगढ़ ब्लाक के अर्न्तगत पहाड़ो के बरही गाँव की आशा बहू भी घर से नही निकलती थी, उसके स्थान पर आंगनबाड़ी पद पर तैनात आशा की सास ही अपनी बहू का काम जरूरत पड़ने पर थोड़ा देख लेती थी।

महिलाओं को **'जननी सुरक्षा योजना'** के बारे में भी कोई जानकारी नही थी जिससे उसका लाभ उन्हें नही मिल पाता था। जब किसी महिला को रास्ते में या अस्पताल के बाहर बच्चे हो जाते थे, अस्पताल की नर्स व ए0एन0एम0 महिलाओं को भर्ती नहीं करती थी। कहती थीं कि **ये पैसे के लिए यहाँ आई है। बहुत मुश्किल से हाथ–पैर जोड़ने के बाद ही वे इलाज करती थी। महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना का कोई पैसा नही मिलता था। अस्पताल में नर्से पहले 500 रू0 मांगती और इसके बाद दवा देती थी।**

घर के लोगों का सहयोग – घर के पुरुषों को भी महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति कोई चिन्ता नही रहती थी। महिलाओं के स्वास्थ्य पर कभी भी उनके साथ चर्चा नही होती थी। महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति कोई जानकारी न होने के कारण वे घरेलू उपचार पर ही आश्रित रहती थी। महिलाओं को अस्पताल तभी ले जाया जाता था जब वे घरेलू उपचार से ठीक नही होती थी।

जिला कुशीनगर के सुकरौली ब्लाक के अर्न्तगत ग्राम जोगीवीर में महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की महिलाओं का कहना था कि पहले जब कोई महिला बीमार या गर्भवती होतीं थीं तो परिवार के लोग कोई ध्यान नही देते थे। प्रसव अक्सर घर में ही दाईयों द्वारा कराया जाता था क्योंकि न तो लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी थी और न ही नजदीक कोई अस्पताल। ज़िला बांदा के ग्राम दुअरिया में प्रसव अक्सर घर में ही दाई से करवाये जाते थे, तथा घर की बुजुर्ग महिलाएं भी कहती थी कि **'हमारे सभी बच्चे घर में ही हुए हैं।'** जब कोई बड़ी समस्या आती थी तभी घर के लोग महिलाओं को अस्पताल लेकर जाते थे।

मिर्जापुर जिला के अतरी गांव में परिवार की बुजुर्ग महिलाएं भी ईश्वर की कृपा मानकर महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान नही देती थी। इसीलिए जब कभी महिलाएं बीमार पड़ती थी तो वे इसे खुद ही अपनी नियति मानकर कि, अपने आप ठीक हो जायेगा बेखबर हो जाती व स्वयं पर कोई ध्यान नही देती थी। जब बीमार पड़ने पर महिलाओं की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती थी तो अक्सर झोला छाप डाक्टर ही उनके लिए सब कुछ होते थे, जो उनसे मनमाना पैसा भी वसूलते थे। जब कभी किसी महिलाा की मौत हो जाती तो परिवार के लोग भाग्य को दोषी मानकार चुप चाप बैठ जाते थे।

मंच के गठन में कठिनाई – महिलाओं ने बताया कि जब उन्होने अपने घर से निकलना शुरू किया और बैठकों में जाने लगी तो घर के पुरूष सदस्यों ने उन्हें रोककर कहने लगे कि बैठकों में जाने से क्या मिलेगा? दूसरों के चक्कर में न पड़ो और अपना काम करो।

जिला कुशीनगर के ढाढ़ा बुजुर्ग गाँव में महिलाओं के लिए इकट्ठा होना बहुत ही मुश्किल था। धर्म व सामाजिक मान्यताओं व पर्दा प्रथा के चलते महिलाएँ मुँह खोलकर बाहर बात नही कर सकती थीं। महिलाओं के बाहर निकलकर दूसरे से बात करने में पुरुष अपनी तौहीन समझते थे। जोगीवीर गाँव के पुरुष व अन्य लोग मंच की महिलाओं को देखकर हँसते थे और व्यंग कसते थे कि 'ये लोग क्या कर पायेंगी?' बैठकों आदि में जाने के कारण कई बार महिलाओं को अपनी रोज की मजदूरी का नुकसान भी उठाना पड़ता था, जिसका असर परिवार के ऊपर भी पड़ता था और घर के लोग नाराज होते थे।

ज़िला बांदा के ग्राम दुअरिया की महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की सदस्य नथिया ने बताया कि जब उन्होंने संस्था के साथ मिलकर बैठकों की शुरुआत किया, तो बुलाने पर भी गाँव की महिलाएं नही आती थी। अगर आती थी, तो पूछती थी कि हमें क्या मिलेगा और तुरन्त ही चली जाती थी। घर के लोग बिल्कुल भी मदद नही करते थे, मंच की बैठकों में बिना घर वालो को बताए चोरी से आना पड़ता था क्योंकि घर के पुरूष बाहर नही निकलने देते थे। मंच की बैठक के लिए जब दूसरी सदस्यो को बुलाने उनके घर जाये तो उनके घर के पुरूष कहते थे कि 'तुम जाती हो तो क्या कर लेती हो, जाओं हमारे घर से कोई नही जायेगा।'

धीरे–धीरे बैठकों में आना शुरू हो गया लेकिन जब कभी बाहर कार्यक्रमों में जाना होता था तो घर के पुरुष तमाम बहाने बनाते कि 'बच्चों को कौन देखेगा, कौन खाना बनायेगा, मुझे बाहर जाना है, मजदूरी का नुकसान होगा' आदि। मंच की कई महिलाओं को इसके लिए बहुत गाली–गलौज भी सुनना पड़ा और लौटने पर मारपीट भी करते थे।' ग्राम–बहेरी की महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की महिलाओं के बारे में गाँव के लोग कहते थे कि ये नेता बनती हैं इनके आगे–पीछे तो कोई है नहीं ये सब खराब औरत हैं इसलिये घूमती रहती हैं। गाँव के लोग पीछे कहते थे कि 'ये लोग अपने आगे किसी को कुछ नही समझती और न किसी की इज्जत करती। अगर ये सब सुनने के बाद हम कुछ बोलते थे तो वो लोग कहते थे कि **"ज्यादा इन्दिरा गांधी और मायावती न बनो घर में रहो"।**

जनपद गोरखपुर के जंगल कौड़िया ब्लाक की विमलावती ने बताया कि **'इसके लिए हमें कई बार घर के पुरुषों के हाथो मार भी खाना पड़ा।'** बाद में जब उन्हें लगा कि हम लोग नही मानने वाले तो हम लोगों के साथ बाहर कार्यक्रमों में वो भी जाने लगे कि देखे ये लोग क्या करती हैं।' महिलाओं का कहना था कि हम लोग सोचते थे कि ठीक है ''घर के पुरुष दो दिन नाराज हो लेगें'' लेकिन हम लोग बाहर जरूर निकलेगें।

महिला स्वास्थ्य अधिकार मचं के सफल हस्तक्षेप

1. अन्टाइड फण्ड के इस्तेमाल से झम्मन ने बचाई फूलकुमारी की जान
जिला– मिर्जापुर

15 अप्रैल 2010 को गाँव की महिला फूलकुमारी को गर्भावस्था के दौरान सुबह करीब 4:00 बजे पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हुआ, तब फूलकुमारी के ससुर देवी लाल ने सर्वप्रथम ''महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच'' की अध्यक्ष झम्मन के पास गये। ये बात सुनकर झम्मन ने तुरन्त उनके घर जाकर फूलकुमारी को देखा और तुरन्त उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजगढ़ ले चलने को कहा।

फूलकुमारी के ससुर देवी लाल ने झम्मन से कहा कि राजगढ़ 38 किमी0 दूर है, मेरे पास पैसा नही हैं। इस पर झम्मन आर्थिक मदद के लिए देवी लाल को साथ लेकर ग्राम प्रधान के घर गोल्हनपुर गयी। झम्मन की बातें सुनने के बाद पहले तो प्रधान सीता देवी के पति ने किसी भी तरह की मदद देने के लिए मना किया, और बोले कि हमारे पास पैसा वैसा नही है, जिस पर झम्मन ने काफी समझाने का काम किया लेकिन वे नही माने।

उस पर झम्मन बोली कि 'अन्टाइड फंड का जो पैसा गांव में आता है वह कहां गया ?' अन्टाइड फंड का नाम लेने के बाद प्रधान पति ने कहा कि 'अच्छा ठीक है पैसे तो नही हैं लेकिन मैं अभी जीप की व्यवस्था कर देता हूँ। करीब एक घण्टे में जीप आ जाने के बाद झम्मन और फूलकुमारी के सास–ससुर तथा मंच की कई अन्य महिलाएं चिरौजी देवी, मुन्नी देवी व विपता देवी, फूलकुमारी को करीब 38 किमी0 दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजगढ़ ले गये।

अस्पताल पहुंचने के बाद वहां की नर्स जांच करने के बाद शाम तक फूलकुमारी की दवा करती रहीं लेकिन जब दर्द ठीक नही हुआ तो नर्स ने जिला अस्पताल मिर्जापुर ले जाने के लिए कहा। जिसके बाद शाम 6 बजे मिर्जापुर जिला अस्पताल पहुंचकर उन्होंने फूलकुमारी को भर्ती कराया। डाक्टर ने फूलकुमारी की जाँच करते हुए तीन बोतल ग्लूकोज़ की चढ़ाई जिसके बाद उसे कुछ आराम मिला।

डाक्टर ने फूलकुमारी का अल्ट्रासाउन्ड के लिये लिखा, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। देवी लाल ने 16 अप्रैल को सुबह फिर ग्राम प्रधान सीता देवी से संपर्क किया जो कि मिर्जापुर में ही रहती थी, और

पूरी घटना बताते हुए पैसे की माँग की। प्रधान सीता देवी ने 1000 रू0 देते हुए फूलकुमारी को लेकर एक दाई को दिखवाया, जो जिला अस्पताल से ही जुड़ी थी तथा प्रसव कराने का काम करती थी। दाई की सलाह पर फूलकुमारी का अल्ट्रासाउन्ड कराने के बाद पुनः डॉक्टर को दिखाया और फिर से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। फिर से फूलकुमारी का इलाज शुरू हुआ। 17 अप्रैल को सुबह करीब 4 बजे फूलकुमारी को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ।

फूलकुमारी का इलाज कराने के बाद दोपहर में वे सभी लोग वापस घर आ गये। बाद का पूरा इलाज उन्होंने प्राईवेट डाक्टर से करवाया क्योंकि जिला अस्पताल दूर था। अब फूलकुमारी पूरी तरह से स्वस्थ है।

'महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच' की मासिक बैठक में इस घटना पर चर्चा हुई कि अगर हम लोगों को 'अन्टाइड फन्ड' के बारे में जानकारी न होती तो कोई मदद भी न करता जिससे फूलकुमारी की जान भी जा सकती थी। इस घटना के बाद अन्य गाँवों में भी मंच की बैठकों में इस घटना की चर्चा दूसरी महिलाओं के साथ किया गया ताकि इस तरह की स्थिति में मंच की महिलाएं 'अनटाइड फंड' के बेहतर इस्तेमाल हेतु प्रधान पर दबाव बना सकें।

2. चमेलिया के संघर्ष से मिली पहचान
जिला– चित्रकूट

मार्च 2010 की घटना है, जब 'महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच' की अध्यक्ष चमेलिया अपनी भतीजी ननकी के प्रसव पीड़ा शुरू होने पर शाम के समय उसको लेकर सरकारी जिला अस्पताल गई। चमेलिया के साथ मंच की दूसरी अन्य महिलाएं भी थी।

अस्पताल पहुंचने पर ए0एन0एम0 ने कहा कि यहां टांका लगाने की व्यवस्था नही है, जिला अस्पताल ले जाओ। उसके बाद मंच की महिलाएं ननकी को लेकर जिला अस्पताल गयी और वहां उसे भर्ती किया। जनपद मुख्यालय करीब 8 किमी0 दूर है। रास्ता बहुत खराब है और कोई साधन नहीं है।

भर्ती करने के बाद नर्स ने बाहर से दवा लाने के लिए पर्चा लिखा और चमेलिया ने सारी दवाएं बाहर से खरीदकर नर्स को दिया। रात में करीब 12 बजे बच्चा हो जाने के बाद नर्स चमेलिया से 500 रू0 की मांग करने लगी। चमेलिया ने कहा 'दीदी हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसा नही है, तभी तो आपके पास आये हैं। यह सुनकर नर्स भड़क गई और बोली, कि पैसा नही था तो यहां क्यों आई हो? यहां से जाओ और पैसा लेकर ही आना, तब बच्चा देंगे।

पैसा नही मिलने पर नर्स ने सुबह करीब 6 बजे तक बच्चे को नही दिया। चमेलिया सुबह जब फिर नर्स के पास गई, तो नर्स बोली कि पैसा लेकर आई हो? अगर नही लाई हो, तो मुझसे बात न करना, जाओ यहाँ से। चमेलिया ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, तो वह बोली **''तू हमसे बार–बार बहस कर रही है, "मै अभी तेरी चमड़ी उतरवा दूँगी''।** उस पर चमेलिया ने कहा कि 'अब तुम भी चुप रहो। मैं पैसा लेकर आई हूँ, लेकिन पहले लिखकर दो कि पैसा लिया है, तभी पैसा दूंगी।' उस पर नर्स नही मानी, तथा झगड़ा करने लगी।

सुबह करीब 7 बजे चमेलिया ने स्थानीय स्वैक्षिक संस्था की प्रमुख की सलाह पर तुरन्त सी0एम0ओ0 को फोन किया और उन्हे सारी बात बताई। उसके आधे घण्टे के अन्दर सी0एम0ओ0 जिला अस्पताल आ गये। सी0एम0ओ0 ने मंच की महिलाओं से बातचीत करने के बाद नर्स को खूब डांटा। अस्पताल में जो दूसरी महिलाएं प्रसव के लिए आई थी उनसे भी बातचीत किया। अस्पताल में सभी महिलाओं ने बताया कि नर्स ने हमसे पैसे लिए हैं।

उसके बाद सी0एम0ओ0 ने मंच की महिलाओं से कहा कि यह हमारे विभाग की गलती है और आप लोग लिखकर हमें दीजिए, हम नर्स के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। उसके बाद दोपहर में मंच की 5–6 महिलाएं सी0एम0ओ0 के यहां गयी और लिखित शिकायत किया, तथा ये माँग की कि अस्पताल में रुपये का लेन–देन बन्द होना चाहिये। शिकायत की एक कापी महिलाओं ने अखबार वालों को भी दे दिया, जिससे दूसरे दिन यह खबर अखबार में भी छप गई। शाम को चमेलिया और मंच की दूसरी महिलाएँ अस्पताल से जननी सुरक्षा योजना का चेक लेते हुए ननकी को घर ले आईं।

इस घटना के बाद उस नर्स को अस्पताल से हटा दिया गया। उसके बाद जब गांव में मंच की बैठक हुई तो इस पूरी घटना के बारे में मंच की दूसरी सदस्यों को भी बताया गया। मंच की महिलाओं ने निश्चय किया कि **"जब भी गांव की किसी महिला का प्रसव होगा तो अस्पताल में कोई पैसा नही दिया जायेगा, क्योंकि सरकार हमारे लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देती है तथा उन स्वास्थ्य सेवाओं को पाना हमारा अधिकार है।"**

मंच की महिलाओं के प्रयासो का परिणाम था कि उस घटना के बाद गांव की महिलाओं में एकजुटता तथा हिम्मत आई है।

3. गुड्डी देवी ने जीता चुनाव
जिला–कुशीनगर

गुड्डी देवी की उम्र 30 वर्ष है और वह ढ़ाड़ा बुजुर्ग खास की निवासी है। वह एक गरीब संयुक्त परिवार का हिस्सा है।

गुड्डी देवी ''महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच'' की सदस्य है। समय–समय पर गुड्डी देवी की क्षमता वृद्धि की गयी। गुड्डी देवी की सहभागिता हर कार्यक्रम व गतिविधियों में देखने को मिली है।

पंचायती राज चुनाव अभियान में भी गुड्डी देवी ने बढ़–चढ़ के भाग लिया, और जन जागरुकता का काम किया। महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की महिलाओं ने गुड्डी देवी को प्रधान पद के लिये प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया।

इस पद के लिये विपक्ष में 7 अन्य लोग भी खड़े थे। जिसमें से एक अन्य महिला के साथ ही गुड्डी देवी की जमकर टक्कर हुयी। जो दूसरी अन्य महिला थी जिसे पूर्व प्रधान ने अपने सहयोग से खडा किया था।

गुड्डी देवी ने स्वयं गाँव के सातों टोलों में जाकर जन सम्पर्क किया। पुराने प्रधान ने वोटों की लालच में सभी टोलों को रिश्वत देने की मंशा से कम्बल, मच्छरदानी, शराब व नकद रुपये रखे थे ताकि रात होने पर उनका वितरण आसानी से हो जाये, परन्तु महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की महिलाओं, युवाओं व कुछ पुरुषों ने जो महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की महिलाओं के सहयोगी थे, जमकर निगरानी की ताकि किसी भी तरह की रिश्वत देकर कोई किसी का वोट न खरीद सके।

इससे पुराने प्रधान की चाल नाकाम हो गयी, और गुड्डी देवी रिकार्ड **1666 वोटों** से जीत गयी। इतने वोटों से न तो ब्लाक पर और न जिला पर कोई जीता था।

इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में गुड्डी देवी ने कोई खर्चा नहीं किया। गुड्डी देवी को पंचायत राज मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्या ने 30,000/– रूपये नकद ईनाम से सम्मानित किया। इस पूरे सफर में गुड्डी देवी को परिवार व गाँव वालों ने भी उसको पूरा सहयोग किया।

4. स्वास्थ्य सेवा के लिये मंच की महिलाओं की आवाज जिला – कुशीनगर

वर्ष 2009 की घटना है जब मंच की नेतृत्वकारी महिलाओं ने अपनी मासिक बैठक में ए0एन0एम0 के पैसे के मुद्दे पर चर्चा की और तय किया कि इसके लिए पहले प्रधान से बात करते हैं कि हमारे गांव में ए0एन0एम0 नही आती है, फिर अगर प्रधान से कोई सहयोग नही मिलता है तब सी0एच0सी0 हाटा में जाकर डॉक्टर से बात करेगें।

इसके बाद दूसरे दिन मंच की महिलाओं ने कई बार प्रधान मैना देवी के घर जाकर उनसे बात किया तो प्रधान बोली कि ए0एन0एम0 के लिए आप लोगों को खुद जाकर डॉक्टर से बात करना होगा, क्योंकि हमारे कहने से तो कुछ नही होगा। इस पर महिलाओं ने कहा कि 'तो आप भी क्यों नहीं हमारे साथ चलती' तो प्रधान मैना देवी ने कहा, कि हाँ, मैं आप लोगों के साथ अस्पताल तक चल सकती हूँ।

उसके बाद करीब 30 महिलाएँ, प्रधान मैना देवी व संस्था की कार्यकत्री के साथ 10 किमी0 दूर सी0एच0सी0 हाटा गई तथा प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ0 से मिलकर अपनी पूरी समस्या बताई।

पहले तो डाक्टर बोले कि, ऐसा नही हो सकता, ए0एन0एम0 तो गांव जाती है और अगर वह पैसे लेती है तो मैं उससे जरूर बात करूँगा। इस बात पर महिलाओं ने ए0एन0एम0 को सामने बुलवाने का अनुरोध किया। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आप लोगों की जो भी समस्या है उसे लिखकर दे दीजिए और हम उस पर कार्यवाही करेंगे। महिलाओं ने एक लिखित शिकायत पत्र प्रभारी चिकित्साधिकारी को दिया। डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि हम इस पर कार्यवाही करेंगे व जल्दी ही आप लोगों की समस्या का समाधान होगा, इसके बाद सभी महिलाएँ गांव वापस आ गईं।

इस लिखित शिकायत के बाद ए0एन0एम0 के अन्दर कुछ डर बना। उसके बाद वह नियमित रूप से गांव में आने लगी और अब सभी महिलाओं से मिलती है तथा उनकी जांच और सुई भी समय से करती है। ए0एन0एम0 पहले जो टीका लगाने तथा कार्ड बनवाने का 10रू0 लेती थी अब उसने वह बन्द कर दिया।

महिलाओं के लिये जो दवा मिलती है वह सभी को बांटती है। अब उपस्वास्थ्य केन्द्र भी समय पर खुलता है तथा मंच से जुड़ी किसी भी महिला से प्रसव कराने के लिए अब कोई पैसे की मांग नही की जाती।

5. नथिया की पहल
जिला– बांदा

वर्ष 2010 में महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की सदस्य नथिया की देवरानी तेजिया को बच्चा होने वाला था, प्रसव पीड़ा शुरू होने पर घर की अन्य महिलाएं व नथिया, तेजिया को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गयी।

अस्पताल में जब तेजिया को भर्ती कर दिया गया तो उसके बाद ए0एन0एम0 500 रू0 मांगने लगी। तब नथिया ने कहा कि **'हमें बताया गया है कि सरकारी अस्पताल में तो किसी चीज़ का पैसा नही लगता है, और सरकार की तरफ से तो तुम्हें वेतन मिलता है।'** उसके बाद ए0एन0एम0 बोली कि अस्पताल में साफ–सफाई करवानी होती है तथा दवाईयाँ बाहर से मंगानी पड़ती है। सरकार इसके लिए हमें कोई पैसा नही देती इसलिए हमें पैसा लाओ।

उसके बाद मंच की सदस्य नथिया ने कहा कि 'ठीक है अगर पैसा लगता है तो मै अभी स्थानीय स्वैक्षिक संस्था को फोन करके पूछती हूँ कि क्या पैसा लगता है।' यह सुनकर ए0एन0एम0 बोली कि 'रुको, रुको फोन न करो, ये बात किसी को बताना नहीं। तुम पैसा मत दो, हम तुम्हारा काम कर देते हैं।'

नथिया ने कहा कि 'जब सरकार हमें यह सुविधा देती है तो तुम हमें क्यों नही देती ? हमें तो यह सुविधायें मुफ्त में मिलना चाहिये, मैं तो ये बात अपने टोले में सभी को बताऊंगी।' यह सुनकर ए0एन0एम0 तमाम बहाना बनाने लगी और बोली कि 'देखो हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, देर तक काम भी करना पड़ता है' आदि।

सुरक्षित प्रसव के बाद नथिया अपनी देवरानी तेजिया को घर ले आ गई। अस्पताल से आते समय जननी सुरक्षा योजना का 1400 रुपये का चेक भी मिल गया था।

उसके बाद मंच की बैठक में नथिया ने सभी को अस्पताल की पूरी घटना बताई, जिसमें स्थानीय स्वैक्षिक संस्था से कई लोग भी उपस्थित थे। सभी ने नथिया के कार्य की बहुत सराहना की, और कहा हम सभी को ऐसा ही करना चाहिये जिससे किसी के साथ ये न हो, और महिलायें जागरुक बनें।

मंच की महिलाओं का कहना था कि इस तरह बैठकों में ही हमें ये सारी जानकारी मिली थी तभी ये सम्भव हो पाया।

6. मंच की पहल से 1 वर्ष बाद मिला 'जननी सुरक्षा योजना' का पैसा जिला– मिर्जापुर , राजगढ़ ब्लाक

अगस्त 2007 में **''महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच''** की सदस्य कृष्णावती को जब प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो उसके पति छोटेलाल व मंच की दूसरी सदस्य सीता देवी, कृष्णावती को लेकर स्थानीय स्वास्थ्य उपकेन्द्र गये। उपकेन्द्र पहुँचने पर ए0एन0एम0 ने कृष्णावती को सुई लगाया और आधा घन्टे बाद बिना किसी परेशानी के कृष्णावती को बच्ची हुई। उस दौरान ए0एन0एम0 ने कृष्णावती को चाय पिलाया और फिर आधा किलो दूध लाकर दिया और बोली कि इसे पी लेना। दूसरे दिन दोपहर में ए0एन0एम0 ने जननी सुरक्षा योजना का फार्म भरवाया और इसके बाद शाम तीन बजे उपकेन्द्र से छुट्टी देते हुए 15 दिन के बाद उपस्वास्थ्य केन्द्र पर पुनः बुलवाया।

15 दिन बाद कृष्णावती जब अपने पति के साथ उपकेन्द्र पर दुबारा गई तो जांच करने के बाद ए0एन0एम0 ने कृष्णावती को जननी सुरक्षा योजना का 700 रू0 दिया और बोली कि जब कोई पूछे तो कह देना कि 1400 रू0 मिला था बाकी का पैसा दवा गोली में खर्चा हो गया। इस पर कृष्णावती के पति छोटेलाल बोले कि 'जितना पैसा मिला है उतना ही तो बतायेगें' यह सुनकर ए0एन0एम0 थोड़ा डर गयी और घबरा कर बोली 'अरे तुम लोग हमें फंसा दोगे क्या? अब दवा गोली में जो पैसा खर्च हुआ है, उसका क्या होगा? वो कौन देगा ? इसके बाद छोटेलाल अपनी पत्नी कृष्णावती को लेकर घर वापस चला आया। छोटेलाल ने यह पूरी बात स्थानीय स्वैक्षिक संस्था की कार्यकत्री को बताया।

जब महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की बैठक हुई तो उसमें इस मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक में मंच की महिलाओं ने तय किया गया कि 'ए0एन0एम0 की शिकायत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजगढ़ में जाकर प्रभारी चिकित्साधिकारी से करना चाहिये, और मंच की महिलाओं ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉ0 को लिखित में शिकायत किया। डॉ0 ने भी आश्वासन दिया कि उस 'ए0एन0एम0 से पूछ–ताछ किया जायेगा और आप लोगों को पूरा पैसा मिलेगा।

जब 15 दिन तक कोई कार्यवाही नही हुई तो कृष्णावती और उसके पति प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ0 से जाकर फिर मिले । तब डॉ0 ने बताया कि ए0एन0एम0 अभी बीमार है और जब वह आयेगी तो उससे पूछकर पैसा दिला देंगे।

उसी दौरान मीरजापुर में स्थानीय स्वैक्षिक संस्थान द्वारा एक जन सुनवाई का आयोजन किया गया था जिसमें जिले से एन0आर0एच0एम0 के डी0पी0एम0 भी आये थे। वहाँ पर महिलाओं ने इस पूरी घटना को उनके सामने रखा, जिस पर डी0पी0एम0 ने आश्वासन दिया कि इस घटना पर वे खुद पहल करेंगे। इसके बाद सी0एम0ओ0 ने राजगढ़ के प्रभारी चिकित्साधिकारी को फोन करके रिपोर्ट देने को कहा।

उधर ए0एन0एम0 ने गाँव की किसी महिला से राजगढ़ के प्रभारी चिकित्साधिकारी को झूठा कहलवा दिया कि पूरा पैसा मिल गया है, तो प्रभारी चिकित्साधिकारी ने भी सी0एम0ओ0 को तुरन्त रिपोर्ट कर दिया कि कृष्णावती को पैसा मिल गया है।

कुछ समय बाद 2008 में ग्राम सुभौल में एक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया था जिसमें प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ0 भी आये थे। इस दौरान मंच की महिलाओं और संस्था कार्यकर्ताओं ने पुनः डॉ0 से जब उस मुद्दे की शिकायत किया तो वे नाराज हो गये और बोले कि ये संस्था फर्जी काम करती है तथा हम संस्था के ऊपर केस कर देगें।

तब महिलाओं व कार्यकर्ताओं ने कहा कि संस्था फर्जी काम नही करती और कृष्णावती को अभी तक पैसा नही मिला है। उस समय मंच की महिलाओं ने ये तय किया कि जब तक कृष्णावती को पूरा पैसा नही मिल जाता तब तक हम लोग इस केस को हर जगह उठाते रहेगें।

कुछ दिनों के बाद जिले से एक जाँच टीम गाँव आई और उसने कृष्णावती और उसके पति से पूछताछ किया, जिस पर कृष्णावती तथा मंच की महिलाओं ने जाँच कमेटी को पूरी बात बताई। जब जाँच कमेटी गाँव आई तो उस समय ए0एन0एम0 और आशा भी साथ में थी। कृष्णावती ने बताया कि ए0एन0एम0 ने हमें धमकी दे कर अगूंठा लगवा लिया था और कहा था कि कोई पूछे तो बता देना कि हाँ हमें पूरा 1400 रू0 मिल गया है।

जाँच टीम ने कृष्णावती को समझाया कि तुम्हें किसी से पढ़वाकर ही अगूंठा लगाना चाहिये। इसके बाद जाँच टीम पढ़–लिखकर चली गई। बाद में डॉक्टरों ने ए0एन0एम0 को खूब डाँटा और कहा कि जाओ जाकर पूरा पैसे देकर आओ नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जायेगी।

इसके बाद जब एक दिन ए0एन0एम0 गाँव में पैसे देने आई तब कृष्णावती ने संस्था की कार्यकत्री और गाँव के कई अन्य लोगों को बुलाकर बाकी के 700रू0 लेने के बाद ही कागज में अँगूठा लगाया कि हाँ हमें पूरा पैसा मिल गया है। पैसा देने के बाद ए0एन0एम0 बहुत नाराज़ हुई और कुसुमलता से लड़ाई करने लगी और बोली कि तुम महिलाओं को भड़काती हो। इस पहल के बाद इन घटनाओं में कमी आयी है।

7. महिला सगंठन के प्रयासों से कराया गया सुरक्षित प्रसव जनपद गोरखपुर

मंच की महिलाओं ने बताया कि एक बार ''महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच'' की सदस्य चन्द्रावती को प्रसव का दर्द हुआ। जब मंच की महिलाओं को जानकारी मिली तो विमलावती के साथ वे सब चन्द्रावती के पति झिनकू को साथ लेकर रात करीब 10 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गयी।

अस्पताल में नर्स ने चन्द्रावती को देखा और फिर बोली कि बच्चा टेढ़ा है, इसे यहां से लेकर सिविल अस्पताल गोरखपुर जाओ, लेकिन तुम पैसा लेकर आओ तो हम कुछ जुगाड़ कर देगें। उसने 500 रू0 की मांग की। मंच की सदस्य विमलावती ने कहा अभी पैसा नहीं है और उससे बहुत प्रार्थना किया कि सुबह होते ही किसी तरह से पैसों की व्यवस्था कर देंगे। लेकिन उस पर नर्स तैयार नही हुई और तुरन्त चन्द्रावती को यहाँ से लेकर गोरखपुर जिला अस्पताल चले जाने के लिये कहा।

इसके बाद मंच की महिलाओं ने रात में किसी तरह से बड़ी मुश्किल से गाड़ी की व्यवस्था करके चन्द्रावती को 28 किमी0 दूर गोरखपुर जिला अस्पताल ले गये। जिला अस्पताल में भर्ती करने के करीब दो घंटे बाद बिना किसी दिक्कत के आसानी से बच्चा पैदा हो गया।

इसके दूसरे दिन सभी लोग बच्चे के साथ गाँव वापस आ गये। विमलावती ने मंच की बैठक में इस घटना की जानकारी दूसरी महिलाओं को भी बताई। उस बैठक में स्थानीय स्वैच्छिक संस्था की कार्यकत्री भी उपस्थित थी। बैठक में महिलाओं ने तय किया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द के नर्स की शिकायत सी0एम0ओ0 से करेंगे तथा जब भी गांव में ए0एन0एम0 आयेगी तो उससे भी हम इन सभी सेवाओं की मांग करेंगे।

कुछ समय के बाद जिला मुख्यालय गोरखपुर में एक कार्यक्रम था, जिसमें मंच की महिलाओं ने संस्था की मदद से सी.एम.ओ. को लिखित शिकायत किया, जिसे पढ़कर सी.एम.ओ. ने जल्द कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। इससे मंच की महिलाओं को और भी ताकत मिली।

मंच की महिलाएं जब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाती है तो मंच का पहचान कार्ड लगाकर जाती हैं। नर्स उसे पढ़ती है, उससे नर्सो के अंदर थोड़ा भय बना है, जिससे अब वह सीधे पैसे की बात नही करती, लेकिन खुसराना की अपेक्षा करती हैं।

8. उपकेन्द्र में सुधार और ए0एन0एम0 का भ्रष्टाचार
जिला– बांदा

31 अगस्त 2009 को मंच की सदस्य कमला देवी को रात करीब 10:30 बजे प्रसव पीड़ा शुरू हुई। कमला देवी आशा को लेकर गांव के स्वास्थ्य उपकेन्द्र में ले गयी। उपकेन्द्र में न तो पीने के पानी की कोई व्यवस्था थी और न ही डिब्बा, बाल्टी आदि। बिजली का कनेक्शन भी नही था और न ही किसी तरह के उजाले के लिए कोई अन्य व्यवस्था थी। स्वास्थ्य उपकेन्द्र पूरी तरह से गन्दा पड़ा था और उसमें धूल ही धूल भरी थी। ऐसी स्थिति में मंच की सदस्यो ने तुरन्त कमरे की साफ–सफाई किया और घर से डिब्बी मंगाकर उजाले की व्यवस्था किया। नई ब्लेड व साबुन आदि मंच की महिलाएं खुद से लेकर गयी थी। ए.एन.एम. को उसके घर से बुलवाया। रात में बच्चा हो जाने के बाद सुबह कमला देवी अपने बच्चें को लेकर घर चली आई।

कुछ दिन के बाद ए.एन.एम. कमला देवी के घर बच्चा देखने के बहाने आई और 300 रू0 की मांग करने लगी। कमला देवी के पति सन्तोष ने कहा कि बहन जी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, 100 रू हैं सो आप खुशी से ले लीजिए। लेकिन ए.एन.एम. 300 रू0 से कम में नहीं मान रही थी, और नाराज हो कर ए. एन.एम. ने वो 100 रू0 भी वापस कर दिया। उसके बाद सन्तोष ने कहा कि आप हमें लिखकर दे दो कि हमने 300 रू0 लिया है तो हम आपको पूरे 300 रू0 दे देगें ।

इस पर ए.एन.एम. और ज्यादा भड़क गई और बोली कि **"तुम हमारी खिलाफत करते हो, तुम्हें ये सब कौन सिखाता है?** संस्था वाले सिखाते हैं क्या? "उसके बाद कमला देवी ने कहा कि **हम तो अपना अधिकार मांगते हैं, जो सरकार हमें देती हैं, उसे दो।"** यह सुनकर ए.एन.एम. तुरन्त वहाँ से चली गई।

एक दिन कमला देवी की सास जब बच्चें को लेकर ए.एन.एम. के पास टीका लगवाने गई तो उसने बच्चें को वापस कर दिया और कहा कि जाकर कमला को भेजो तभी बच्चे को टीका लगायेगें।

इस घटना के कुछ समय बाद 'महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच' की बैठक में देवी ने घटना को मंच की महिलाओं के सामने रखा। बैठक में स्थानीय स्वैक्षिक संस्था की कार्यकत्री भी उपस्थित थी। बैठक में निर्णय लिया गया कि ए.एन.एम. की लिखित शिकायत प्रभारी चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बहेरी के डॉक्टर से की जायेगी।

उसी समय गांव के आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक बैठक आयोजित की गई थी और उसमें प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर भी आये थे। मंच की महिलाओं ने डाक्टर से ए0एन0एम0 की लिखित शिकायत करते हुए उसके खिलाफ कार्यवाही करने व उप–स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव से सम्बन्धित सुविधाओं को बढ़ाने के लिये भी मांग रखी। प्रभारी चिकित्साधिकारी ने मंच की महिलाओं को भरोसा दिलाया कि ए0एन0एम0 को हम समझायेगें और समझाने पर भी यदि उसके व्यवहार में कोई बदलाव नही आता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जायेगी। उप–स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव सम्बन्धित सुविधाओं की भी पूरी व्यवस्था की जायेगी।

एक सप्ताह बाद जब कमला देवी अपने बच्चे को लेकर विमला देवी के साथ टीका लगवाने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गई तो उस ए0एन0एम0 ने कमला को देखते ही टीका लगाने के लिये मना किया। फिर मंच के द्वारा दबाव बनाया गया तो फिर ए0एन0एम0 ने बच्चे का टीका लगाया – यह मंच के द्वारा किया गया एक बहुत अच्छा कदम था।

9. कई महीनों बाद 10 महिलाओं को मिला ''जननी सुरक्षा योजना'' का पैसा जिला–कुशीनगर सुकरौली ब्लाक

27 जून 2008 को मंच की सदस्य पुष्पा देवी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक बच्ची को जन्म दिया। इसके लिए उन्हे सारी दवाईयां बाहर से ही खरीदनी पड़ी। बच्ची होने के बाद ए.एन.एम. 500 रू0 की मांग करते हुए पुष्पा की माँ से झगड़ा करने लगी।

पुष्पा ने झगड़ा देख बिस्तर से उठकर ए.एन.एम. के पास आकर बोली ''हमारे पास पैसा नही है और अगर पैसा नही मिलेगा तो क्या इलाज नही करोगी?'' इस पर ए.एन.एम. पुष्पा पर नाराज होते हुए बोली ''तुम बड़ी तेज हो, चलो कुछ तो दो, जितना है वही दो।'' इस पर पुष्पा की माँ ने ए.एन.एम. को 200 रूपये निकालकर दे दिया।

पुष्पा को उस समय **''जननी सुरक्षा योजना''** के तहत मिलने वाला 1400 रु0 का चेक भी नहीं मिला। पुष्पा ने कई बार मौखिक शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद चेक न मिला। उसने एक दिन मंच की महिलाओं से पूरी बात बतायी कि 8 महीने हो गये हैं और अभी तक ए.एन.एम. ने चेक नही दिया है।

जब मंच की बैठक हुई और वहां इस पर मुद्दे पर भी बात हुई तो पता चला कि उसी दौरान गाँव की दूसरी 9 और महिलाओं का भी ''जननी सुरक्षा योजना'' का पैसा कई महीनों से नही मिला है। उसके बाद मंच की महिलाओं ने स्थानीय स्वैक्षिक संस्था की कार्यकत्री के साथ बैठक किया और निर्णय लिया गया कि जो ए.एन.एम. अस्पताल के परिसर में ही रहती है, उसके घर चलकर उसे मिलकर घेरा जाये और पूछा जाये कि वह पैसा क्यो नही दे रही है?

अगले दिन गाँव की 15 महिलाएं संस्था की कार्यकत्री को साथ में लेकर ए.एन.एम. के घर पहुंची और सीधे उसके घर घुसने लगी, तो नर्स चिल्लाते हुए बोली ''क्या बात है क्यों आयी हो यहाँ? चलो–चलो घर के बाहर चलो।'' उसके बाद मंच की 3–4 महिलाएँ अन्दर घुस गईं। घर के अन्दर कहा–सुनी के बाद ए.एन.एम. ने कहा ''अच्छा ठीक है पुष्पा का चेक अगले दिन दे देगें लेकिन और दूसरी महिलाओं के चेक की बात न करो।'' इस बात पर मंच की सभी महिलाओं ने कहा **''सभी महिलाएं भी हमारे गाँव की और उनका भी पैसा आपके पास है, और हमें तो सभी महिलाओं का चेक चाहिये, ये हमारा हक है।''**

तब ए.एन.एम. डर गयी और दूसरे दिन सभी महिलाओं का चेक बनाकर देने का वादा किया और सभी को अस्पताल बुलाया। दूसरे दिन वे सभी 10 महिलाएँ अस्पताल गई और अपना–अपना चेक लिया। चेक देने के बाद ए.एन.एम. बोली कि 'अब तो आप लोग खुश हैं।

10. भोलिया के बढ़ते कदम
जिला – बांदा

इसके बाद सभी महिलाओं ने बैंक जाकर अपना पैसा निकाल लिया। जनवरी 2009 को "महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच" की सदस्य भोलिया की बहू चुन्नी को बच्चा होना था। भोलिया व मंच की कुछ और महिलाएं चुन्नी को लेकर रात 11:00 बजे अपने स्थानीय उप स्वास्थ्य केन्द्र गयी।

चुन्नी को अस्पताल में भर्ती करने के बाद ए.एन.एम. 300 रू0 मांगने लगी। भोलिया ने ए.एन.एम. से कहा कि 'सरकारी अस्पताल में प्रसव के लिए कोई पैसा नही लगता और हमारे पास पैसा नही है।' उस दौरान ए.एन.एम. का पति भी वहीं पर था और उसने कहा कि 'दवा–गोली का पैसा लगता है, तो निकालो पैसा नहीं तो जाओ और जो नेतागिरी करना हो तो कर लेना।

भोलिया ने कहा कि अस्पताल से तो हम नही जायेंगे, और अगर हमारी बहू के साथ भी कोई दिक्कत हुई तो ठीक नही होगा। इस पर ए.एन.एम. चुपचाप सुनती रही और उसने प्रसव कराया। रात में प्रसव हो जाने के बाद भोलिया दूसरे दिन सुबह अपनी बहू को लेकर घर चली आई। पैसा न देने की वजह से ए.एन.एम. ने "जननी सुरक्षा योजना" का चेक नही दिया और एक महीने तक टालती रही। जब मंच की बैठक हुई तो भोलिया ने मंच की अन्य महिलाओं को ये सारी बात बताई। मंच की महिलाओं ने कहा कि अगर ए.एन.एम. चेक नही देगी तो इसकी शिकायत सी.एम.ओ. से करेंगे। उसके बाद एक दिन भोलिया उप स्वास्थ्य केन्द्र पर गई और ए.एन.एम. से बोली कि चेक दे दो, नहीं तो फिर मत कुछ कहना, पर उसने चेक नही दिया और बोली कि अभी चेक बनकर नही आया है।

कुछ दिनों के बाद ए.एन.एम. ने आशा के हाथों चेक भिजवा दिया लेकिन आशा भी चेक अपने पास कुछ दिनों तक रक्खे रही। जब भोलिया के लड़के महेश ने आशा से कहा तब जाकर उसने चेक दिया। इसी तरह मार्च 2009 को ''महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच'' की सदस्य भोलिया के पड़ोस में रहने वाली रानी को प्रसव के लिये भोलिया उसे लेकर उप स्वास्थ्य केन्द्र गई। भोलिया को देखकर ए.एन.एम. कुछ बोली तो नहीं लेकिन रानी को देखा और फिर बोली कि इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अतर्रा ले जाओ क्योंकि इसके अन्दर खून की कमी है। उसके बाद भोलिया, रानी को लेकर 10 किमी0 दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अतर्रा चली गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अतर्रा में भर्ती करने के बाद ए.एन.एम. पैसे की मांग करने लगी और जब उसे कोई पैसा नहीं दिया तो वह भोलिया तथा मंच की दूसरी सदस्य रन्नू से झगड़ा करने लगी पैसे के लिये, लेकिन उन्होने ए.एन.एम. को कोई पैसा नही दिया।

प्रसव के बाद भोलिया और रन्नू की अनुपस्थित में ए.एन.एम. ने रानी के पति रामबरन को फुसलाकर अस्पताल से घर आने के पहले 300 रू0 ले लिया तथा रामबरन ने भी यह बात उस समय नही बताई। जब समूह के लोगों को इसकी जानकारी हुई तो रामबरन को डाँटा कि पैसा क्यों दिया घर के दूसरे काम में आ जाता। रामबरन को भी बहुत पछतावा हुआ।

महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच, उत्तर प्रदेश द्वारा निगरानी के विभिन्न प्रयास

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पहला ऐसा कार्यक्रम है, जो जन स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे उपकेन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और जिला अस्पताल की गुणवत्ता को बढ़ाकर ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने पर केन्द्रित है। साथ ही कार्यक्रम आगे के लिए यह भी सोच रखता है कि समुदाय को इन स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी के लिए सक्रिय रूप से शामिल किया जाए।

1. सरकार की पहल व समुदाय को लाभ– मंच द्वारा अनटाइड फण्ड के इस्तेमाल की निगरानी 2008

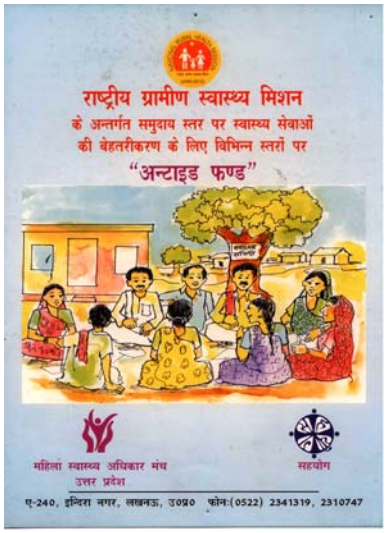

समुदाय को स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए सक्रिय रूप से शामिल करने की ओर पाँच जिले के महिला स्वस्थ्य अधिकार मंच की महिलाओं को प्रशिक्षणों में बताया गया कि अनटाइड फण्ड क्या है, और इसमें किस प्रकार का खर्चा किया जा सकता है। इसमें ग्राम स्वास्थ्य समिति, उपकेन्द्र और स्वास्थ्य केन्द्र सभी के अनटाइड फण्ड की राशि बताई गयी और एक पर्चा बाँटा गया।

अनटाइड फण्ड सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत समुदाय से लेकर ब्लॉक स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरीकरण के लिए एक राशि है जिसे हर स्तर पर इस्तेमाल किया जा सकता है –

- ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति
- उपस्वास्थ्य केन्द्र,
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

महिलाओं को सूचना का अधिकार कानून के बारे में भी बताया गया। इसके बाद महिलाओं ने स्थानीय संस्था की मदद से अपने ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता समिति से सूचना माँगी, और अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से भी सूचना माँगी। सरकार द्वारा अनटाइड फण्ड और अपने प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र से भी सूचना माँगी। सरकार द्वारा अनटाइड फण्ड के तहत दी गयी राशि के खर्च की मदों को जानने का प्रयास किया गया। सूचना न मिल पाने पर सूचना के अधिकार के तहत अर्जी भी डाली गयी।

पाँच में से चार जिले में कोई खास सूचना नहीं मिली, कहीं तो समितियाँ ही नहीं बनी थी, और कहीं उसकी बैठक ही नहीं हुई थी। केवल कुशीनगर में पैसे का सही इस्तेमाल हुआ था। लेकिन गोरखपुर चंदौली आजमगढ़ मिर्जापुर आदि जिलों से कोई स्पष्ट सूचना नहीं मिल पायी। इतना जरूर हुआ कि इस निगरानी के चलते वहाँ ग्राम स्वस्थ्य समितियाँ बनने लगी।

एक तरफ सरकार का पैसा आकर सही तरीके से खर्च नहीं हो पाया, दूसरे तरफ गाँव के गरीब लोग अपने स्वास्थ्य सेवाओं को लेने में काफी खर्च करने के लिए मजबूर हो रहे थे। महिलाओं ने पांच जिलों की लगभग 412 दलित, मुस्लिम व पिछड़ी जाति के परिवारों से पता किया कि 6 माह के अन्दर माँ व बच्चे के स्वास्थ्य पर कितना खर्चा हो रहा था। ये गौरतलब है कि इस अध्ययन की सभी महिलायें मजदूर हैं और अधिकांश महिलाओं की मासिक आय 1000 से लेकर 3000 रूपये तक है।

कुल 216 महिलाओं के सरकारी अस्पतालों में हुए प्रसव में देखा गया कि माँ–बच्चे के स्वास्थ्य में

- लगभग 30 प्रतिशत लोगों को1000 रूपये तक खर्च हुए
- लगभग 44 प्रतिशत लोगों को 1000 से 3000 तक रूपये खर्च हुए
- करीब 14 प्रतिशत लोगों को 3000–5000तक रूपये खर्च हुए
- 204 महिलाओं को जे.एस.वाई. का लाभ मिला जबकि 28 महिलाओं को यह लाभ लेने के लिए पैसे देने पड़े।
- लगभग 36 प्रतिशत लोगों को 1000 रूपये तक खर्च हुए
- 42 प्रतिशत लोगों को 1000–3000 तक रूपये खर्च हुए

यहाँ यह भी देखने वाली बात है कि इन जिलों की कुछ महिलाओं को अपनी अथवा अपने बच्चे की जान बचाने के लिए 20 हजार से 30 हजार भी खर्च करना पड़ा है जिसमें आज़मगढ़ की एक दलित महिला को 40,000 हजार खर्च करना पड़ा। यह देखा गया कि अधिकतर लोग प्रसव के बाद बच्चे के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में गये हैं। तथ्य यह इंगित करते हैं कि सरकारी अस्पतालों में बच्चों के इलाज के लिए या तो सुविधायें नहीं हैं/अथवा गुणवत्तापरक नहीं है, या फिर लोगों की पहुँच के बाहर हैं।

महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच के कुछ सवाल

- क्यों सूचना के अधिकार अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके तहत मांगी गयी जानकारी देना अनिवार्य है?
- अण्टाइड फण्ड के खर्च के ब्यौरे की पारदर्शिता क्यों नहीं है?

- सरकारी लाभ लेने के लिए भी क्यों महिलाओं तथा उनके परिवारों से अतिरिक्त पैसे की मांग की जा रही है?
- मातृ व शिशु स्वास्थ्य सरकार का मुख्य एजेण्डा होने के बावजूद भी क्यों गरीब परिवारों को स्वास्थ्य लेने के लिए हजारों रूपये खर्च करने पड़ रहे हैं?
- सरकारी अस्पतालों में मुफ्त सेवा का प्रावधान होने के बावजूद अधिकतर परिवारों को प्राइवेट अस्पतालों का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है?

महिलाओं ने अपने निगरानी की रिपोर्ट छापकर मीडिया को एवं सम्बन्धित स्वास्थ्य अधिकारियों को दिया, एवं अपनी समस्याओं को रखा।

- आजमगढ़ में महिलाएं मुख्य चिकित्सा अधिकारी और डी0पी0एम0 से मिली, जिन्होंने उनको पहचान कर बधाइयाँ दी और अपना फोन नंबर भी दिया।
- गोरखपुर में महिलाऐं डिप्टी सी0एम0ओ0 को अपनी रिपोर्ट दिया और उन्होंने लिखित शिकायत करने की सलाह दिया।
- मिर्जापुर में महिलाएं मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिली और अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने महिलाओं से सुझाव माँगा की कैसे व्यवस्था को सुधारा जाये। जब वे डी0पी0एम0 से मिली उन्होंने महिलाओं से ही कहा की अपने गाँव के ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता समिति में सदस्य बन जाये।
- कुशीनगर में महिलाएँ जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिलीं तो उनके कार्ड देखकर पहले कुछ घबरा गए लेकिन महिलाओं ने अपनी पूरी बातें को उनके सामने रखा। और बाद में वे डी0पी0एम0 से भी मिलीं और उनके सामने भी बातों को रखा।
- चंदौली में महिलाएँ वहां की डीपी0एम0 से मिली जिन्होंने उनकी समस्याओं को सुना और उनके सुझाव माँगा। इस पर महिलाओं के कहा कि अगले जिला स्वास्थ्य योजना में ए0एन0एम0 के उपकेन्द्र बनवाने की योजना अवश्य होना चाहिए।
- महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की महिलाओं ने पाँचों जिले में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और अपने निगरानी के तथ्यों की मीडिया के सामने रखा।

आजमगढ़ में कैलाशी, नीलम और देवकी ने मीडिया के सामने अपने आंकड़ों को रखा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया।

- गोरखपुर में इश्रावती ने अपने अनुभव मीडिया के सामने रखा जिस पर मीडिया वालों ने पूछा कि इसकी कहीं शिकायत हुई है तो उन्होंने बताया कि शिकायत हुई पर सुनवाई नहीं हुई।
- मिर्जापुर में झम्मन ने मीडिया के साथियों के सामने कहा कि सरकार को अखबार और टीवी पर निशुल्क

प्रसव सुविधा की झूठी बातें नहीं कहना चाहिए।

- चंदौली में रामरती देवी और भगवानी देवी ने मीडिया को बताया कि सरकारी अस्पताल जाने पर मरीजों को धमकी देते है और इतना खर्चा होता है कि लोग सोचते है प्राइवेट में ही चले जाएँ।
- कुशीनगर में इमरती देवी, साबरा और रहीसुननिसा ने मीडिया के आगे कहा कि महिलाओं को सरकारी अस्पताल जाने पर भी काफी खर्च करना होता है। सारा सामान बाजार से लाना पड़ता है।

2. मातृ मृत्यु अथवा घोर लारवाही की घटनाओं पर जन सुनवाई 2009

महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की महिलाओं के साथ 2006–2009 के बीच कई शिविर और प्रशिक्षण हुए जिसमे सुरक्षित प्रसव के बारे में चर्चा हुई। महिलाओं के अनुभव से यह निकल कर आया कि कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं जिसमे महिला और उनके परिवार के लाख कोशिश करने पर भी, सुरक्षित प्रसव नहीं हो पाता है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में उचित सेवाएं उन्हें नहीं मिल पाती है, और कभी कभी मौत भी हो जाती है। मंच की महिलाओं का इरादा था कि ऐसी घटनाओं को रोकने की कोशिश करेंगे, और यदि कहीं होता है तो उसकी पूरी जांच करेगे और रिपोर्ट बनायेंगें। इस तरह, अगले कुछ सालों में मंच की महिलाऐं और स्थानीय संस्था ने कई घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया। 2008 मे कुछ महिलाओं ने जाकर उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री श्री अनंत मिश्रा को मिलकर ऐसी घटनाओं की जानकारी दी, और उनसे काफी बातें की। स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के कार्य से प्रभावित होकर महिलाओं से इस संदर्भ में अधिक से अधिक जानकारी भी माँगी।

हिन्दुस्तान

कफन पहन औरतों ने जुलूस निकाला

2009 में कई ऐसी घटनाओं को एक जनसुनवाई में उठाने के लिए तय किया गया। इस जनसुनवाई में गाँव के उन परिवारों और महिलाओं को लाया गया जिनके साथ ऐसी दुखद घटनाएँ हुई थी। मंच की महिलाओं ने उन भुक्तभोगी परिवारों को यही आश्वासन देकर बुलाया कि ऐसी जनसुनवाई में कोई न्याय नहीं मिल सकता है लेकिन इस घटना को सबके आगे कहने से अधिकार हनन की स्पष्ट समझ बनती है, और आगे के लिए रणनीति बनाने की प्रेरणा मिलती है। जनसुनवाई 28 मई को लखनऊ में आयोजित किया गया और उसमें दस परिवारों से लोग आये थे और उन्होंने अपनी आप बीती सबके आगे रखा जो कि बहुत ही मार्मिक था।

जनसुनवाई में गणमान्य व्यक्तियों को विचार करने के लिए बुलाया गया। कई जनपदों से 200 महिलाओं, मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार, भूतपूर्व सांसद, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, आन्दोलनकारी महिलायें, एवं कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, राज्य मानव अधिकार आयोग की एक प्रतिभागी ने भी जनसुनवाई में भाग लिया। गौरतलब है कि इसके पंद्रह दिन बाद मुख्यमंत्री ने दोनों स्वास्थ्य मंत्रियों और सभी जिला चिकित्सा अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक बुलाया।

“रम्भा को गर्भावस्था के दौरान सभी टीके लगे थे लेकिन कोई जांच नहीं हुआ था। 18 अक्टूबर 2008 की बात है रम्भा अपने घर का सारा काम–काज करके दोपहर का खाना खाकर खाली हुई थी कि उसके पेट में थोड़ा दर्द शुरू हुआ राजकुमार (रम्भा का पति) रम्भा को साइकिल पर बैठाकर लगभग 2 बजे पी0एच0सी0 नौगढ़ पहुंचे जहां पर ए0एन0एम0 चन्द्रकला व सुनिता मिली।

राजकुमार ने ए0एन0एम0 से रम्भा को चेक करने के लिए कहा। साथ ही यह भी बोले कि मैं पर्ची बनवाकर ले आ रहा हूँ। जिस पर ए0एन0एम0 ने कहा कि 2 बज गया है। पी0एच0सी0 बन्द हो गई है वैसे पर्ची की जरूरत नहीं है। ए0एन0एम0 ने कहा कि रम्भा को यह जो दर्द हो रहा है वह प्रसव का ही दर्द है इसलिए आप जाइए और बाहर से 3 बोतल पानी व 3 सुई लेकर आइए तब तक हम लोग रम्भा को लेकर अन्दर जा रहे है।

राजकुमार घर से निकलते समय 300रू0 रख लिये थे कि ए0एन0एम0 चेक करके बता देगी तो मैं फिर पैसे की व्यवस्था करके आगे ले जाऊंगा। राजकुमार ने 300 रू0 में से 285 रू0 का सुई व पानी लेकर आये। ए0एन0एम0 बोतल चढ़ाने लगी। उस समय पी.एच.सी. में ए.एन.एम. के अलावा राजकुमार, रम्भा तथा उनकी 3 साल की बेटी वन्दना मौके पर मौजूद थी।

पानी चढ़ने लगा रात को 11 बजे ए0एन0 एम0 आकर कहती है कि जाकर और पानी लाओ पानी समाप्त हो गया है। जिस पर राजकुमार ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है मैं घर जा रहा हूँ पैसा का जुगाड़ करके लाता हूँ तब तक आप लोग अपना दवा व सूई लगाइए।

जैसा कि राजकुमार ने बताया कि अस्पताल से आते समय मैं रम्भा से बातचीत करके आया साथ ही यह भी पूछा कि घर में कहीं पैसा रखा है कि नहीं, रम्भा ने बताया कि 500 रू0 रखा है। रात को 11:30 बजे राजकुमार जंगल के रास्ते से होकर 1 बजे अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद गाँव में जाकर ब्याज पर पैसा का इन्तजाम करने लगे।

करीब 6 बजे लगभग 9000 रू0 का इन्तजाम करके राजकुमार अस्पताल पहुँचे तो देखे कि रम्भा मर चुकी है जहां प्रसव के लिए उसे लेटाया गया था वहीं पड़ी थी उसका पेट पूरी तरह से फूल गया था, मौके पर कोई ए0एन0एम0 वहाँ पर मौजूद नहीं थी सभी गायब थीं।”

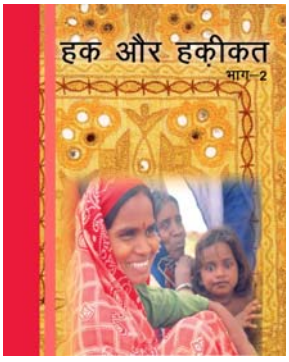

2008 में दो जिलों के एक–एक विकास खंड में एक अध्ययन किया गया कि सरकारी कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना के आने के बाद ग्रामीण गरीब महिलाओं के कैसे अनुभव हुए जब वह अस्पतालों में प्रसव के लिए गए। इस अध्ययन रिपोर्ट को एक सरल किताब के रूप में उन्हीं ग्रामीण वालों के लिये छापा गया–**“हक और हकीकत भाग–2” (2009)**

गाँव में इस किताब को पढ़ा गया और हर महिला के अनुभव को लेकर बैठकों में चर्चा हुई। महिलाओंने विश्लेषण किया कि –

- क्या ऐसी घटनाएँ हमने भी सुना है, या हमारे साथ भी हुआ है?
- ऐसा हमारे साथ क्यूँ होता है?
- इसे सुधारने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं?

- अस्पतालों में सेवा कर्मियों के व्यवहार व संवेदनशीलता को लेकर शान्ति देवी ने कहा कि **"अस्पताल वालों के बुरे व्यवहार और गुस्से के कारण कोई सरकारी अस्पताल में नहीं जाना चाहता है, लोग घर पर ही प्रसव कराते है।"**
- अस्पताल में महिलाओं को भर्ती करने में होने वाली समस्या पर बोलते हुए गुलाबी देवी ने कहा कि **"यदि बच्चा होने में कुछ घण्टे बचे रहें, महिला अस्पताल पहुँच जाये तो गर्भवती को अस्पताल से नहीं लौटाना चाहिए बल्कि उसे भर्ती कर लेना चाहिए। लौटाने के कारण ही रास्ते में बच्चा पैदा हो जाता है।"**
- अस्पताल तक महिला को ले जाने में साधन उपलब्ध न होने से होने वाली परेशानी पर बोलते हुए केशरा देवी ने कहा कि "साधन के न मिलने की वजह से बहुत परेशानी झेलनी पड़ती हैं, काफी समय चला जाता है। अस्पताल जाने के लिए गाँव में ही कुछ गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए कम से कम उन गाँवों से जहाँ से अस्पताल बहुत दूर हो।
- **सोमारी देवी** ने कहा "ऐसा कोई नियम होना चाहिए कि अस्पताल में प्रसव के लिए आई कोई गर्भवती महिला का अगर उस अस्पताल में प्रसव नहीं हो सकता तो उसे बड़े अस्पताल के लिए रेफर किया जाय,और साथ में अस्पताल का कोई व्यक्ति जरूर जायें।"

- तपेसरा देवी ने अपना अनुभव रखते हुए कहा, "अस्पताल में लोग जिन्दगी नहीं देख रहे है, त्योहार देख रहें है।" इसी पर जोड़ते हुए बीना ने कहा कि 'अस्पतालों में उजाले की व्यवस्था के साथ–साथ बिस्तर भी साफ देना चाहिए। **सुभागी देवी** ने कहा कि "अगर गाँव में ही एक प्रशिक्षित दाई हो तो महिलाओं को इतनी परेशानियों का सामना ही न करना पड़ेगा।"
- भ्रष्टाचार और अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा लेने में होने वाले खर्च **गुजराती देवी** ने अपना अनुभव रखते हुए कहा कि "कोई ऐसा कड़ा नियम होना चाहिए कि सरकारी अस्पतालों में कोई गरीबों से पैसा न ऐठ पाये।" **सुरसती, इन्द्रदेई और देवाती** ने कहा कि "सरकारी अस्पतालों में हो रही अनदेखी और लापरवाही को लेकर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए ताकि बुरा करने वाले डरें।"
- **एक अन्य महिला** ने कहा "ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए संगठन का मजबूत होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब कम लोग अन्याय के खिलाफ बोलते हैं तो उन्हें भगा दिया जाता है लोग ज्यादा रहेंगे तो हम दबाव बना पायेगें।"

कई महीनों तक ऐसी बैठकों और चर्चाओं में से कई और अनुभव निकल आये। मंच कि महिलाओं ने एक और जनसुनवाई में भाग लिया जो कि आजमगढ़ में रखा गया क्योकि वहाँ सबसे अधिक मंच के सदस्य हैं।

माह अगस्त 2009 में इस जनसुनवाई में कई जनपदों से दस ऐसे घटनाओं के बारे में परिवार के लोग या महिलाओं ने खुद बताया, और सुनने वाले चकित रह गए कि मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं कि यह दशा है गुणवता का पूरा आभाव है।

> आजमगढ़ की साधना का यह दूसरा गर्भ था, और उसने सारे टीके लिए थे। 1 जून सुबह 4 बजे उसका प्रसव पीड़ा शुरू हुआ। आशा बहु को बुलाने पर उसने कहा कि इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले जाओ, जो कि 2 किलोमीटर दूर था। गाड़ी लेने में 700 रूपये लग गए सामुदायिक केन्द्र में उन लोगों को एक ए0एन0एम0 मिली, जिसने कहा दो घंटे में बच्चा हो जायेगा और 400 रूपये की दवा बाजार से मंगाई। साधना को एक सुई लगायी और एक बोतल चढ़ाया। दो घण्टे गए और साधना की तकलीफ बढ़ती गयी, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। परिवार के लोगों ने ए0एन0एम0 को फिर बुलाया तो वह देखकर बोली की इसका आपरेशन यहाँ नहीं हो पायेगा, इसे आजमगढ़ ले जाकर ऑपरेशन करवाना होगा। परिवार के लोग फिर से गाड़ी लाये जिसका किराया 500 रूपया लग गया, और उसे एक प्राइवेट अस्पताल ले गए क्योकि वे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ए0एन0एम0 के व्यवहार से परेशान हो रहे थे। परन्तु प्राइवेट अस्पताल में पहले ही 1200 रूपये ले लिया, सुई लगायी और बोतल चढ़ाया, फिर ऑपरेशन के लिए 15000 रूपये जमा करने के लिए कहा। साधना की सास ने मना कर दिया कि हम लोग इतना पैसा कहाँ से लायेंगे?
>
> तीसरे दिन परिवार वाले साधना को एक दूसरे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले गए, वहां पर भी उन्हें एक ए0एन0एम0 ही मिली। उसने देखकर कहा कि यह तो बच्चा नहीं हो पायेगा।
>
> थककर परिवार के लोग साधना को उसके बहन के घर ले गए जो पास में ही था। वहाँ एक झोला छाप डॉक्टर और दाई को बुलाया दाई को 200 रूपये दिया और डॉक्टर को 100 रूपये। साधना का बच्चा आखिर घर पर ही हो गया। दोनों माँ और बच्चे स्वास्थ्य हैं, लेकिन परिवार का बहुत बड़ा कर्जा हो गया, क्योंकि अस्पतालों के चक्कर में उनका काफी खर्च हो गया।

3. अपने स्वास्थ्य उपकेन्द्र की निगरानी भारतीय जन स्वास्थ्य मानक के आधार पर–2010

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन उप केन्द्र जैसे जन स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता को बढ़ाकर ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने पर केन्द्रित है। साथ ही यह सोच रखता है कि समुदाय को इन स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी के लिए सक्रिय रूप से शामिल किया जाए। इसी ओर उत्तर

प्रदेश के 11 जिलों के 71 गाँवों में, महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की महिलाओं द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक सर्वेक्षण किया गया। जिला ऐक्शन योजना बनाने के लिए इस सर्वेक्षण के परिणाम सुझावों के रूप में इस्तेमाल करना था।

"भारतीय जन स्वास्थ्य मानक" राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मानकों का एक ऐसा ढाँचा है, जो उपकेन्द्र जैसे जन स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को बताते हैं।

इसमें मुख्यतया स्वास्थ्य केन्द्रों पर जरूरत मानव संसाधन, दवाइयों, उपकरणों, आधारभूत सुविधाओं आदि के लिए न्यूनतम मापदंड तय करता है। **महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच** ने उप केन्द्रों पर पाए जाने वाली सेवाओं और उपकरणों में से 19 को चुनकर उनकी निगरानी की। यह 19 सुविधाओं को लेकर निगरानी के लिए एक फॉर्म बनाया गया। क्योंकि ज्यादातर महिलायें निरक्षर थी, इसलिए उनकी समझ के लिए **फार्म को सचित्र** बनाया गया। महिलाओं का समूह अपने गॉव के उपकेन्द्र पर गया और फॉर्म में से जो सुविधाएं मौजूद थी, उन पर "सही" का निशान लगाया। निगरानी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों (आजमगढ़, बांदा, बरेली, चित्रकूट, चंदौली, गोरखपुर, जौनपुर, कुशीनगर, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर) के 71 उप केन्द्रों पर की गई।

एक उपकेन्द्र समतल क्षेत्र में 5000 की जनसंख्या के लिए और पहाड़ी/आदिवासी रेगिस्तान क्षेत्रों में 3000 की जनसंख्या के लिए होता है। उप केन्द्र की दूरी और इलाज का खर्च महिलाओं की, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच के महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं। उप केन्द्र का सुविधाजनक स्थान पर होना, महिलाओ की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच के लिए आवश्यक है।

सर्वेक्षण के परिणाम

- यदि उपकेन्द्रों पर **बुनियादी सुविधाओं** की बात की जाये तो 71 उपकेन्द्रों में से 40 उपकेन्द्रों पर एक से ज्यादा कमरों की सुविधा उपलब्ध थी। जबकि ध्यान देने वाली बात यह है कि लगभग आधे उपकेन्द्रों पर बिजली व साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी। 71 उपकेन्द्रों में से 15 उपकेन्द्रों के भवन जर्जर अवस्था में पाये गए। दो तिहाई (71 में से 46)
- उपकेन्द्रों पर **गर्भनिरोधक गोलियों** पायी गयी और 71 में से 41 उपकेन्द्रों पर कॉण्डोम उपलब्ध थे। 71 उपकेन्द्रों में से 37 पर बुखार (ज्वर) की दवा उपलब्ध मिली।

- ग्रामीण स्तर पर उपकेन्द्रों पर सबसे महत्वपूर्ण सुविधा महिलाओं की **प्रसव पूर्व जाँच** है। यह सराहनीय है कि दो तिहाई उपकेन्द्रों पर आयरन की गोलियों जो कि गर्भवती महिलाओं को देने की व्यवस्था थी। परन्तु 71 में से 27 (लगभग एक तिहाई) उपकेन्द्रों पर ही प्रसव पूर्व जाँच की सुविधा उपलब्ध थी। मूलभूत उपकरणों जैसे वजन मापने की मशीन और रक्तचाप मापने के उपकरण जिनकी आवश्यकता प्रसव पूर्व जाँच के लिए होती है। 71 में से 39 उपकेन्द्रों पर वजन मापने की मशीन नहीं थी और 71 में से 49 उपकेन्द्रों पर रक्तचाप मापने के उपकरणों की व्यवस्था नहीं थी।

- स्थानीय स्तर के उपकेन्द्रों पर **सामान्य प्रसव की व्यवस्था** होनी चाहिए परन्तु उप केन्द्रों पर प्रसव कराने की मूलभूत सुविधाएं ही नहीं पायी गयी। लगभग आधे उपकेन्द्रों (71 में से 36) पर बेड की व्यवस्था नहीं थी और 71 में से 42 उपकेन्द्रों पर गोपनीयता को बनाये रखने के लिए परदे भी नहीं थे। अन्य मूलभूत चीजें जैसे, दस्ताने, आधे उपकेन्द्रों (71 मे से 37) पर उपलब्ध नहीं थे। 71 उपकेन्द्रों में से 36 उपकेन्द्रों पर उपकरणों की सफाई के लिए स्टोव/चूल्हा भी उपलब्ध नहीं था।

इस अध्ययन को पूरा करने के बाद महिलाओं का **निष्कर्ष** था–मातृ स्वास्थ्य के स्थिति में सुधार लाने के लिए सारी उचित सेवाएँ उपकेन्द्र पर प्रसव पूर्व जाँच की सुविधा नहीं है जो एनीमिया, कम वजन, ब्लड प्रेशर, आदि जाँच सकते हैं। परेशानियों को अगर वक्त रहते पहचान लिया जाए तो कई मातृ मृत्यु को रोका जा सकता है, प्रसव पूर्व सेवा का बहुत महत्व है। महिलाओं के आँकड़ो के अनुसार कई उप केन्द्रों पर बुनियादी सेवाएं जैसे पानी, बिजली, शौचालय आदि नहीं हैं, आधे से ज्यादा उपकेंद्रों पर बिस्तर नहीं थे। उपकेन्द्र सुरक्षित प्रसव के लिए अनुपयुक्त पाए गए।

महिलाओं की उम्मीद थी कि उपकेन्द्र गाँव के स्तर पर गर्भनिरोधकों की सूचना व उपलब्धता का प्राथमिक स्रोत होगी ताकि महिलाओं का अपने प्रजनन संबंधित निर्णयों पर नियंत्रण का सहारा मिले और बार–बार गर्भधारण न करना पड़े। पर यह बहुत साफ है कि आधे से ज्यादा उप केन्द्रों पर गर्भनिरोधकों की सुविधाएं मौजूद नहीं है।

2010 में स्थानीय संस्था द्वारा आयोजित जिला संवाद में महिलाओं ने अपने जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों के आगे इन सारे आंकड़ों को रखा। महिलाओं का यही आवेदन था कि आगामी जिला स्वास्थ्य योजना में इन बातों को ध्यान रखा जाये और उप केन्द्रों को मजबूत बनाने के लिए संसाधन उपलब्ध हो।

महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच के प्रयासों का असर

पाँच सालों में महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच के प्रयासों और संघर्ष के बारे में आपने पढ़ा है अब सवाल है कि इसका क्या असर हुआ? क्या इससे स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलने लगी? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई परिवर्तन आया? महिलाओं का इस तरह आवाज उठाने के परिणाम होते हैं –

जब 2007 में महिलाओं ने जननी सुरक्षा योजना में भ्रष्टाचार, और स्वास्थ्य केन्द्रों से गर्भवतियों को लौटाने की कई घटनाओं को लखनऊ में आकर बताया, तो इस पर अखबारों में काफी लिखा गया। लखनऊ और उसके आस–पास की घटनाओं को लखनऊ में आकर बताया, तो इस पर कठोर कार्यवाही होने का शासन के द्वारा आदेश भी निकला।

जब 2009 में महिलाओं की ओर से मातृ मृत्यु और गंभीर लापरवाही की घटनाएँ सामने आईं, इस पर अखबार में लेख निकले इसके कुछ ही दिनों के बाद में मुख्यमंत्री जी ने राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया जिसमें गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया गया। कई बार ऐसी घटनाओं को उठाने से विभागीय जाँच भी की गई।

> “जिला मिर्जापुर में मंच और गांव के ए0एन0एम0 आशा, आंगनबाड़ी व प्रधान के साथ संयुक्त बैठकें की जाती हैं, जिसमें प्रधान, मंच की महिलाओं की बात सुनते हैं। महिलाओं ने गांव में प्रधान से मिलकर अन्टाइड फण्ड के पैसे से उपस्वास्थ्य केन्द्र की पानी, बिजली की व्यवस्था करने, स्टोव, पर्दे, बाल्टी तथा कुर्सी मेज आदि की व्यवस्था करवाई तथा 6 महीने में उपस्वास्थ्य केन्द्र पर नया सामान आ गया। साफ–सफाई और पुताई भी हो गई जिससे ए0एन0एम0 भी सप्ताह में बैठने लगी है और प्रसव भी कराने लगी है। अन्टाइड फण्ड के पैसों के सही इस्तेमाल से उपस्वास्थ्य केन्द्र फिर से खुलने लगा, और अब ए0एन0एम0 ही प्रसव कराती है तथा जननी सुरक्षा योजना का चेक सभी महिलाओं को समय से मिल पा रहा है। मंच की नेतृत्वकारी महिलाएं समय निकालकर बीच–बीच में उपस्वास्थ्य केन्द्र में जाकर देखती है तथा ए0एन0एम0 से बात करती है। अनटाईड फंड के पैसों को कहां खर्च किया गया है इस पर भी मंच की महिलाएं ए0एन0एम0 से पूछती है तथा ए0एन0एम0 को हिसाब बताना पड़ता है।”

जब सवाल स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से पूछा गया, कि इस मंच से क्या फायदा हुआ है उनका जवाब इस प्रकार था–

- जनपद गोरखपुर के प्रभारी चिकित्साधिकारी, जंगल कौड़िया, का कहना था कि “हमने महिलाओं के मंच के बारे में सुना है। वे लोग महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करती हैं और अच्छा काम करती हैं।”

- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हाटा कुशीनगर के स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का कहना था "हमने मंच के बारे में सुना है तथा कई बार उनके कार्यक्रमों में भी गये हैं। संस्था द्वारा महिलाओं को हक और अधिकार बताया जा रहा है। जब भी हमें कोई समस्या बताई जाती है तो अपने स्तर से पहल भी करते हैं जिससे कुछ बदलाव भी आया है। महिलाएं कभी–कभी रात में भी फोन करके अपनी समस्या हमें बताती हैं, मै व्यक्तिगत व विभाग की तरफ से भी महिलाओं की पूरी मदद करने का प्रयास करूंगा।"
- जिला बांदा के प्रभारी चिकित्साधिकारी का कहना था कि "हम लोग सरकार की तरफ से जो भी मदद होगी जरूर करेगें।
- जिला बांदा ग्राम बहेरी की मंच की महिलाओं के इन प्रयासों का ही परिणाम है कि अब नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नियमित रूप से खुल रहा है तथा डाक्टर और ए.एन.एम. नियमित रूप से आ रही है। उप–स्वास्थ्य केन्द्र में रात में भी प्रसव हेतु ए.एन.एम. रहती है। अब ए.एन.एम. व आशा मिलकर हर महीने गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करती है तथा आयरन की गोली या अन्य जरूरी दवा भी देती है। अब ए.एन.एम. के द्वारा किसी तरह के पैसे की मांग नहीं की जाती है।

- जिला बांदा के ए.एन.एम. कृष्ण मिश्रा व शकुन्तला गुप्ता का कहना था कि **"इस तरह के काम से महिलाओं की जानकारी बढ़ती है तथा उनमें जागरूकता भी आई है। गांव की महिलाओं को हम लोगों की मजबूरी व समस्या को भी समझना चाहिए तथा हमारे अधिकारियों से भी बात करना चाहिए। कई आशायें भी "महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच" से जुड़ी हैं।"**

संस्था के प्रयासों से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर, ए.एन.एम. व आशाओं के साथ कई बार मुलाकात व बैठकों के कारण उनका व्यवहार भी बदल गया है। अब मंच की महिलाएं बिना किसी डर के किसी भी अधिकारी से बात करती हैं। महिलाओं की जानकारी का परिणाम है कि जब भी मंच की कोई महिला अस्पताल जाती है और वहाँ कोई पैसे की मांग करती है, तो अब महिलायें सवाल करती हैं कि **"किस बात का पैसा मांग रही हो, हमें बताओ हम 'हम महिला मंच' से जुड़े हैं और हमें बताया गया है कि अस्पतालों में कोई किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है।"**

जनपद चित्रकूट के ग्राम पड़री में अब मंच की महिलाओं को शायद ही कोई ऐसा हो जो न जानता हो। दूसरे गांव की महिलाएं भी जरूरत पड़ने पर मदद करने के लिए चमेलिया तथा मंच की दूसरी सदस्यों को बुलाती हैं। गाँव में जब भी किसी गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होती है तो किसी भी तरह से **मंच की महिलाओं के साथ अस्पताल जाने का प्रयास करती है। जिला अस्पताल मे जाने के पहले वे अपना मंच की पहचान कार्ड जिसमें कई अधिकारियों के मोबाइल नम्बर लिखे होते हैं, जरूर रखती हैं ताकि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें। अस्पताल में अब पहचान कार्ड देखकर कोई भी नर्स या ए.एन.एम. पैसे की मांग करने**

की हिम्मत नहीं करती है। अगर बिना कार्ड लगाये मंच की किसी महिला से नर्से पैसे की बात करती हैं तो मंच की महिलाएं उनसे सवाल करती है कि किस बात का पैसा मांग रही हो? "जननी सुरक्षा योजना" का चेक भी सभी महिलाओं को अस्पताल छोड़ने के पहले से मिल जाता है।

- जनपद गोरखपुर के जंगल कौड़िया ब्लाक में शिकायत की घटनाओं के बाद ए.एन.एम. के व्यवहार में बहुत बदलाव आया है। अब ए.एन.एम. गाँव में आती है तो दलित बस्ती में भी आती है और मंच की महिलाओं से हाल–चाल पूछती है। ए.एन.एम. को पता है कि गांव में महिलाओं का **'महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच'** बना है इसलिए वह डरती है। परिणाम है कि ए.एन.एम. गर्भवती महिलाओं व बच्चों को टीके लगाने या आयरन की दवा का कोई पैसा नहीं लेती है, तथा टीके भी समय से लगाती है, और घरों में पूछ–ताछ कर कुछ जरूरी दवायें भी दे जाती है। लेकिन जो महिलाएं मंच से नहीं जुड़ी तथा जिन्हे जानकारी नहीं है उनसे चुपचाप पैसे ले लेती है।

- जिला कुशीनगर के महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की सदस्य जो आशा भी है मेरूनिशा ने बताया कि "पहले हमें भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन जब से मंच से जुड़े हैं और लखनऊ व गोरखपुर भी कई बार गये हैं तब से हमें बहुत जानकारी मिली है तथा फायदा हुआ है। पहले ए.एन.एम. जो हमारा पैसा काट लेती थी अब हल्ला मचाने के बाद नही काटती। लेकिन अभी दस्तखत करने का पैसा मांगती है।"

- महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की महिलाएं खुद बदलाव का बारे में बताती हैं–जिला मिर्जापुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजगढ़ या सरकारी अस्पताल में यदि नर्स या डॉक्टर पैसो की मांग करते हैं तो महिलाएं उस पर भी विरोध करती हैं। अब अस्पताल में जाने पर, अगर ए.एन.एम. व डाक्टर को पता चल जाता है कि वे महिलाएं 'महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच' की सदस्य हैं तो बहुत सम्मान करती है व बैठने के लिए भी कहती हैं और अस्पताल में डाक्टर भी हम लोगों की बात सुनते हैं।

इसके अलावा महिलाओं ने बताया कि अपने अंदर भी काफी परिवर्तन आया है :–

- महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की महिलाओं ने बताया कि जबसे वे मंच के साथ जुड़ी उनकी जानकारी व समझ बढ़ी है। स्वास्थ्य अधिकारों जननी सुरक्षा योजना,अनटाइड फंड, ग्राम स्वास्थ्य एवं

स्वच्छता समिति की भूमिका एवं जिम्मेदारी अस्पतालों में महिलाओं का मिलने वाली सुविधाओं व नेतृत्व क्षमता आदि के बारे में जानकारी बढ़ी है। मंच की हर महीने होने वाली बैठक में भी संस्था के लोग ए. एन.एम. व आशा के काम आदि के बारे में जानकारी देते हैं। महिलाओं को जब इन सबकी जानकारी मिली तो उन्हें विश्वास ही नहीं था कि सरकार महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रही ।

> “जनपद कुशीनगर के सुकरौली ब्लाक अर्न्तगत ग्राम जोगीवीर की पुष्पा का कहना था कि “पहले हमें इतनी जानकारी नहीं थी कि अस्पताल में बिलकुल भी पैसा नहीं लगता और स्वास्थ्य सेवाओं को पाना हमारा अधिकार है।’ अब महिलाएं मानती हैं कि ‘स्वास्थ्य सेवाओं को पाना हमारा अधिकार है और ये हमें हर हालत में मिलना ही चाहिए। महिलाएं नियमित रूप से अपने मंच की आयोजित बैठक में विभिन्न सामाजिक व महिला स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा करती हैं।”

- मंच की महिलाओं ने बताया कि हम लोग चाहते हैं कि संस्था के द्वारा हम लोगों को और भी जानकारी दी जाये तथा जहां भी बुलाया जायेगा वहां हम लोग जायेगें। गांव की दूसरी महिलाओं को भी मंच के साथ जोड़ेगे तथा अब अपने हक की लड़ाई लड़ना है, हारना नहीं है। अस्पताल में जितनी भी सुविधा हमारे नाम पर आती है उन्हें लेना है। चाहे कोई भी महिला हो उसे पैसा न देना पड़े, यही हम चाहते हैं।

> “जिला बांदा, ग्राम बरछा में मंच की सदस्य भोलिया कहती है कि ‘जब तक हम अपना हक नहीं मांगेगे तब तक हम इसी तरह से गरीब बने रहेगें अब मैं अपनी बहू को भी बैठकों में भेजती हूँ ताकि उसे भी हर तरह की जानकारी मिले। अब हम किसी से भी बात कर सकते हैं व अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं, अब किसी तरह का डर नहीं लगता है।’”

- जनपद कुशीनगर के सुकरौली ब्लाक अन्तर्गत ग्राम जोगीवीर में महिलाओं का कहना था कि पहले गाँव में अगर किसी महिला के साथ कोई घटना होती थी तो मंच की महिलाएँ उसका विरोध करती थीं और विरोध करने पर उन्हें दबाया जाता था, लेकिन जब महिलाओं ने हिम्मत जुटाई और उन्होंने बैठके अपना शुरू किया, इसके माध्यम से उन्हें धीरे–धीरे बाहर निकलने का मौका मिला। अब गाँव में किसी महिला के साथ यदि कोई घटना होती है तब हम सभी मंच की महिलायें मिलकर पहल करती हैं।

- लखनऊ में सम्मेलन के दौरान ही मंच की महिलाओं को पता चला कि स्वास्थ्य सुविधाओं का पाना उनका अधिकार हैं। मिर्जापुर के राजगढ़ ब्लाक के मंच की सदस्य सीता देवी का कहना था कि **“मंच की बैठक के दौरान हमें संस्था द्वारा ही बताया गया था कि जननी योजना के तहत 1400 रू0 मिलना चाहिए, अब तो चेक ही मिलता है। यदि अब हमारे गांव में कृष्णावती जैसी कोई घटना होगी तो हम लोग सीधे पी. एच.सी. राजगढ़ जायेगें और खुद बात करेगें। जब महिलाओं का बच्चा पैदा होना होता है तो लोग मदद के लिए सीधे हमारे पास आते हैं।”** इन जानकारियों के कारण ही आज मंच की महिलाओं में हिम्मत आई है और अब वे सामूहिक बैठक करके मंच की दूसरी महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकार को पाने के लिए संघर्ष करती है।

- जिला बांदा ग्राम बहेरी की महिलाओं ने बताया कि मंच की बैठक में हम लोगों को **"ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति"** के कार्यो गर्भावस्था के दौरान देखभाल, ए.एन.एम. व आशा के कार्य, अपने मंच को कैसे मजबूत करें, गांव की समस्याओं के समाधान के लिए कैसे पहल करे आदि के बारे में सीख मिली। अब गांव में इसकी बैठक करके अन्य लोगों को भी बताया, तभी आज हम लोग अपने गांव में कुछ करवा रहे हैं। अब ग्राम बहेरी में गठित "महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच" की चर्चा आस–पास के गांवों में भी होने लगी है। महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की सदस्यों का कहना है कि हम अभी गांव में और महिलाओं को जोड़कर अपने मंच के साथ जोड़ेगे ताकि हमारा मंच मजबूत बने। अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो दूसरी गांव में भी जाकर मदद करेगें। महिलाओं की इच्छा है कि उन्हें कानून व कानूनी कार्यवाही के बारे में सिखाया जाय ताकि वे और मजबूत बन सकें।

- जिला बांदा,ग्राम बरछा में मंच की महिलाओं का कहना था कि हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और अपने हक के लिए लड़ते रहे। अभी बहुत कुछ करना बाकी है जिसे धीरे–धीरे जरूर करेगें। मंच की सदस्य फूला का कहना था कि **"अभी तक हमारा आधा जीव था अब मंच से जुड़ने के बाद पूरा जीव हो गया है।"**

- जिला कुशीनगर के महिलाओं का मंच के बारे में विचार है कि गांव में अपने बीच की किसी महिला को ही अपना प्रधान बनायेगें ताकि हम लोगों के काम हों, गांव में विकास करायेगें तथा दूसरे गांव में जाकर भी मंच की दूसरी महिलाओं को और मदद करेगें। हम चाहते हैं कि हमें इसी तरह की और जानकारी तथा कानून के बारे में भी बताया जाए ताकि हम लोग अच्छी तरीके से काम कर पायें। मंच की महिलाओं के सक्रियता तथा संघर्षो का सफर लगातार जारी है तथा हर समस्याओं के समाधान हेतु अब वे एक साथ खड़ी रहती है। इस बार पंचायत चुनाव में महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की कई महिलायें पंचायत के पद पर जीत कर आयी है।

जब महिलाऐं अपने आस–पास देखती हैं, उनके प्रति समाज का नजरिया भी बदल गया है।

मंच से जुड़ी महिलाओं के तमाम सफल प्रयासों का ही परिणाम है कि गांव मे अब उन्हें सम्मान के साथ देखा जाता है।

- जनपद चित्रकूट के कर्वी ब्लॉक के ग्राम छछेरिया के महिलाओं ने बताया कि जब मंच की बैठकें होना शुरू हुई तथा वे लोग घर से निकलने लगें तो घर के लोग सबसे पहले यही सवाल करते थे

कि कहाँ जा रही हो, बैठक में तुम्हे क्या मिलेगा? घर का काम कौन करेगा? अब जब मंच के प्रयासों से महिलाओं को अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलने लगी तथा पैसा भी बचने लगा तब कहीं जाकर पुरूषों को विश्वास हुआ क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगी तथा पैसा बचाने लगा तब कहीं जाकर पुरूषों को विश्वास हुआ क्योकि पुरूषों को तो वहां से डांटकर भगा दिया जाता था।

- मंच की सदस्य विमलावती का कहना था कि "हमें वो पुराने दिन याद है, जब घर से निकलने में मार भी खानी पड़ती थी। अब जमीन आसमान का अन्तर आ गया है। अब कुछ भी काम कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि यह लोग तो मशीन हैं, मायके के लोग भी अब सोचते हे कि कुछ और पढ़ा लिखा देते तो अच्छा रहता।" (जनपद गोरखपुर के जंगल कौड़िया ब्लाक)

- मिर्जापुर के राजगढ़ ब्लाक के मंच के महिलाओं का मानना है कि 'गांव में पुरूषों के मन में हमारे प्रति विश्वास बना है कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। इसी संदर्भ में मंच की एक सदस्य के पति जय सिंह का कहना है था कि "मंच में महिलाओं के जुड़ने से फायदा हो रहा है, अब ए.एन.एम. आने लगी है उसके मन में भी डर हुआ है कि अगर गांव नहीं जायेगें या यदि जननी सुरक्षा योजना का पूरा चेक किसी को नहीं मिला तो लोग शिकायत कर देगें। इस मंच में और भी महिलाओं को जोड़ना चाहिए।"

- जिला कुशीनगर के ढांढा बुजुर्ग गांव में महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की सदस्य कुन्ता देवी के पति चन्द्रिका यादव का कहना था कि "महिलाएं अब अधिकारियों से आसानी से बात करती हैं, अब ए.एन.एम.भी कोई पैसा नहीं मांगती है, इससे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी जहां भी मदद पड़ेगी हम भी उसमें मंच की ओर से मदद करेगें।"

- जिला मिर्जापुर की फूलकुमारी के ससुर का कहना था कि "झम्मन और मंच की महिलाएँ हमरे लिए भगवान हो गइलीं नहीं तो हमार बहू मर जाइती प्रधान जी का भी राजगढ़ और मिर्जापुर में काफी सहयोग मिला, इतना हमके आशा नहीं रहलं", अब गांव में यदि किसी महिला को कोई तकलीफ होती है तो उनके घरों के लोग तुरन्त मंच की महिलाओं को बुलाते हैं तथा अस्पताल तक साथ चलने के लिए कहते हैं।

- जनपद गोरखपुर के जंगल कौड़िया ब्लाक अन्तर्गत ग्राम भीटी में महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की नेतृत्वकारी महिला फूला के पति का कहना था कि "मंच की महिलाएं मीटिंग करती हैं तथा अधिकारियों से बात करने भी जाती हैं। गांव में सरकारी काम लड़कर दिलाती हैं। महिलाओं की बैठकों में जाने तथा संस्था से हम लोगों को भी जानकारी मिली। अब हमारी पत्नी फूला बहुत होशियार हो गई है इन्हीं के

कारण ही हम लोगों को नरेगा के तहत काम मिला।" महिलाएं जब भी बैठकों में जाती है तो भी गांव के लोग मंच की महिलाओं को ही बुलाते हैं।

- गांव के ही शिवनरायन निषाद का कहना है कि "गांव में महिलाएं मिलकर काम करती हैं तथा पुरूष लोग भी अब इनकी मदद करने लगे हैं।"

"जनपद कुशीनगर के सुकरौली ब्लाक अन्तर्गत गांव के पुरूषों का कहना है कि जो काम प्रधान नहीं करवा पाता वह काम ये महिलाएं करवाती हैं। मंच की महिलाओं ने बताया कि 'एक दिन जब हम लोग बैठक कर रहे थे, तो उसी दौरान गांव के तीन–चार पुरूष आ गये और व्यंगात्मक भाषा में बोले कि 'हम लोगों के जॉब कार्ड बनवा दो और नरेगा में 100 रू0 मजदूरी दिला तो जाने नरेगा में प्रधान तो अभी 70 रू. ही देता है।' इस पर महिलाओं ने कहा कि 'अब जॉब कार्ड भी बनेगा और पूरी मजदूरी भी मिलेगी। उसके बाद मंच की महिलाएं पुरूषों को साथ लेकर ब्लॉक में गयी। बी0डी0ओ0 ने वहां हम लोगों को देखकर कहा ये लोग कौन हैं, और क्यों आई है?तब हम लोगों ने बी0डी0ओ0 से मिलकर अपनी समस्या रखी, बी0डी0ओ0 ने उसी समय पंचायत सचिव को बुलाकर 70 परिवारों का जॉब कार्ड बनावाया, हम लोग अपने साथ फोटो भी लेकर गये थे। जॉब कार्ड बन जाने के बाद मंच की कई महिलाओं ने तय किया कि गांव में जहां पर नरेगा का काम चल रहा है वहां पर हम लोग भी कुदाल–खांची लेकर चलते हैं और काम करते हैं।

मंच की महिलाओं ने पहले से चले रहे काम के स्थान पर आकर का काम शरू किया तो वहां पर ठेकेदार आकर बोला ये क्या करती हो, तुम लोगों को किसने कहा है कि यहां काम करो? जिस पर महिलाओं ने कहा कि हमारा भी जॉब कार्ड बना है और हम लोग भी काम करेगें। इतने में प्रधान भी आ गये और बोले कि 'ठीक है काम करो लेकिन भर–भर के उठा लोगे' तो महिलाओं ने कहा कि हॉ हम लोग उठा लेगें आप इसकी चिन्ता न करो। तीन दिन तक मंच की महिलाओं ने काम किया उसके बाद जब मजदूरी लेने गई तो प्रधान 70 रू0 के हिसाब से मजदूरी देने लगा। उस पर गांव की महिलाओं ने पैसा लौटा दिया और कहा कि "100 रू0 मिलता है और हमें 100 रू0 के हिसाब से पूरा पैसा चाहिए।" पहले तो प्रधान को कुछ समझ में नहीं आया लेकिन बाद में 100 रू0 प्रतिदिन के हिसाब से पूरा पैसा भिजवा दिया। तब से गांव में नरेगा के तहत काम करने वाले सभी लोगों को चाहे पुरूष हो या महिला 100 रू0 के हिसाब से ही मजदूरी मिलती है। कैलाशी देवी का कहना था कि "इसके बाद हम लोग पुरूषों से 5 रू0 का सहयोग लेते हैं और जब कभी बाहर जाना होता है या कोई दूसरा काम होता है तो उस पैसे का इस्तेमाल कर लेते हैं।" नरेगा मे पहले 60 से 70 रू0 मजदूरी मिलती थी लेकिन अब पूरे 100 रू0 मिलती है।"

- मंच की महिलाओं के छोटे छोटे प्रयासों से अब गांव के लोग काफी प्रभावित हुए हैं। अब गांव के लोग जानने लगे है कि महिलाओं का कोई मंच हैं जहां महिलाएं बैठक करती है तथा आपस में स्वास्थ्य के विषय में चर्चा करती हैं। जो महिलाएं मंच के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी है उनके घर

के सदस्य अब घर की महिलाओं के साथ कोई रोक–टोक नहीं करते बल्कि बैठको में जाने के लिए कहते हैं। गांव में कुछ पुरूष भी मंच की बैठक के लिए महिलाओं को सूचना देने में भी मदद करते हैं।

- इन प्रयासों से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और इससे गांव की अन्य महिलाएं भी मंच से जुड़ी है। गांव के पुरूष लोग भी अब ये मानते हैं कि महिलाओं में भी दम है और ये काम करवा सकती हैं तथा इसके लिए वे भी अब हम लोगों के पास मदद के लिए आते हैं।

- मंच की महिलाओं ने तय किया है कि अब घरों के अन्दर महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा तथा ज्यादती के खिलाफ भी मिलकर काम करेगी और महिलाओं को पूरी सुरक्षा दिलवायेंगे। मंच की महिलाओं द्वारा ये भी संकल्प लिया गया है कि पंचायत चुनाव में महिलाओं को खड़ा करके जीतना है, और प्रधान अपने गांव का बनाना है। अब मंच की महिलाएं अपनी किसी भी समस्या को एक दूसरे के सामने रखती है।

महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की महिलाओं की क्षमता वृद्धि हेतु विभिन्न अवसर 2006–11

महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच का गठन 2006 में हुआ, लेकिन उसके पहले 2003 से उत्तर प्रदेश की 6–7 संस्थाएं मिलकर मातृत्व स्वास्थ्य और अधिकारों पर कार्य कर रही थी। इसके अंतर्गत, गांव की महिलाओं के साथ ग्राम स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित हुए जिसमें महिलाओं ने सुरक्षित मातृत्व के बारे में सीखा, और वर्तमान स्वास्थ्य सेवाओं का विश्लेषण सीखा। अपने नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाना सीखा और सरकारी अधिकारियों के साथ अपनी बात रखना भी सीखा।

2006 में महिलाओं द्वारा मातृत्व मृत्यु के विषय पर **पूरी नागरिक पूरा हक** नामक बड़ा अभियान प्रदेश के कई जिलों में चलाया गया, जिसके बाद औपचारिक तरीके से महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच का गठन हुआ।

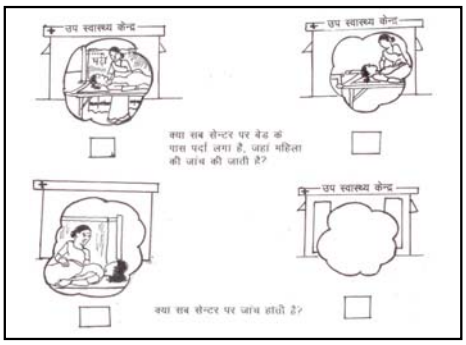

2007 से प्रदेश के 10–12 साथी संस्थाओं के माध्यम से सहयोग संस्था ने ग्रामीण महिलाओं के लिए लगातार क्षमता वृद्धि का आयोजन किया। सदस्यता कई हजारों में थी इसलिए कुछ चुनी हुई महिला नेत्रियों का प्रशिक्षण पहले किया गया, फिर उनके और संस्था के कार्यकर्ताओं के मदद से सारे गांव में प्रशिक्षण की जानकारी को फैलाने का प्रयास किया गया। औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा महिलाओं को कई जगह शैक्षणिक भ्रमण पर लिया गया और प्रत्यक्ष रूप से मंत्रियों और अधिकारियों के आगे अपनी बातों को रखने का मौका भी कई बार दिया गया।

इन सारे प्रयासों के चलते महिलाओं में जानकारी भी बढ़ी, और उस जानकारी के आधार पर आत्म विश्वास बना कि वे अपने–अपने हकों के लिए खुद संघर्ष कर सकती हैं।

क्षमता वृद्धि की श्रृंखला कुछ इस प्रकार थी –

सामुदायिक स्तर पर –

- हर जिले में महिलाओं को एक बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी और सुरक्षित मातृत्व के बारे में बताया गया, इसमें कई प्रकार के सचित्र सामग्री का प्रयोग किया गया जैसे सचित्र फ्लैश कार्ड, और शरीर एप्रेन।

- अधिकारगत नजरिया को विकसित करने के लिए महिलाओं ने सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में अपनी जानकारी बढ़ायी और उसकी तुलना में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का विश्लेषण किया। (2007 से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चलने लगा। जिसमें सामुदायिक भागीदारी और सामुदायिक निगरानी के लिए सम्भावनायें थीं, एवं सेवाओं के ठोस मानक और सेवा गारन्टी भी स्पष्ट बताये गए। इससे मातृत्व स्वास्थ्य मुद्दों पर उनका एक अधिकारगत नजरिया विकसित हुआ, साथ ही अपने स्वास्थ्य अधिकारों व सुविधाओं तथा उनकी निगरानी के बुनियादी कौशल पर उनका उन्मुखीकरण किया गया।

- अपने अधिकारों को लेने के लिए महिलाओं ने पैरोकारी के तरीकों पर समझ बढ़ाया और ज्ञापन लिखना सीखा, तथा अपने गांव के जमीनी तथ्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करना भी सीखा, अधिकारियों से मिलने के कई अवसर मिलते रहे क्योंकि हर साल जिला स्वास्थ्य संवाद स्थानीय संस्था और सहयोग द्वारा आयोजित किये गए।

- 2007 में अपने खाद्य सुरक्षा, पोषण और साथ ही अजीविका (नरेगा) की पात्रता के लिए सामाजिक ऑडिट का संचालन करने के लिए जानकारी तथा कौशल बढ़ाने का क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों का आयोजन 5 जिलों में मंच की महिलाओं के लिए किया गया।

- 2008 में स्थानीय स्वास्थ्य बजट (एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु अनटाईड फण्ड) और स्वास्थ्य पर होने वाले समवर्ती घरेलू खर्चों की निगरानी हेतु 5 जिलों की महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की महिलाओं की क्षमतावृद्धि की गयी।

- पुनः 2009 में 11 जिलों की महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की महिलाओं के लिए क्षमतावृद्धि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें उन्हें उनके स्थानीय उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर, जहां ए.एन.एम. की नियुक्ति होती है, जन स्वास्थ्य मानकों की जानकारी दी गई।

- 2010 में, 10 जिलों की 300 नेतृत्वकारी महिलाओं को दो दिवसीय कार्यशालाओं के माध्यम से तैयार किया गया कि किस प्रकार महिलायें और अधिक प्रभावी ढंग से पंचायत चुनावों में भाग ले सकती है। उन्होंने यह सीखा कि अपनी मांगों को कैसे सूचीबद्ध करना है, कैसे महिला उम्मीदवारों को आगे बढ़ाना है तथा महिलाओं को प्रचारकों के रूप में तैयार करना है। (इसके चलते हमारी पंचायत, हमारा राज अभियान मई से सितम्बर 2010 तक

चलाया गया जिसका परिणाम यह रहा कि 162 महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की महिलायें प्रधान, ग्राम सदस्य और क्षेत्र पंचायत के पद पर चुनी गईं)

- 2011 में मंच की 60 महिलाओं की क्षमतावृद्धि तीन दिवसीय कार्यशाला द्वारा राशन–पोषण तथा रोजगार के मुद्दों पर की गई। इस जानकारी के द्वारा महिलाओं को अपने इलाके के आंगनबाड़ी केन्द्र की निगरानी करने के लिए सक्षम किया गया।

उपरोक्त ग्राम–स्तरीय प्रशिक्षण के अलावा, सीखने के कई अन्य अवसर भी मिले जैसे –

- 23–25 मार्च 2007 को भोपाल में आयोजित हुए जन स्वास्थ्य अभियान द्वारा आयोजित दूसरे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सभा के दौरान महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की 16 नेतृत्वकारी महिलाओं और साथी संस्थाओं के अध्ययन दौरे का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से इन नेतृत्वकारी महिलाओं को महिला स्वास्थ्य और अधिकार के मुद्दों पर काम करने वाले दूसरे समूहों के साथ परिचय का मौका मिला था।

- मई 2007 में समुदाय आधारित साथी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के साथ 95 महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की नेतृत्वकारी महिलाओं ने लखनऊ आकर सूचना के अधिकार अधिनियम पर एक दिवसीय उन्मुखीकरण में हिस्सा लिया था।

- मई 2010 में, पंचायती राज व्यवस्था पर महिलाओं की क्षमतावृद्धि हेतु लखनऊ में एक चार दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम किया गया और इसी के तहत नैनीताल (उत्तराखण्ड) में एक पांच दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण भी रहा।

सामुदायिक तथा राज्य स्तर पर, महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की नेतृत्वकारी महिलाओं की लगातार की गई क्षमतावृद्धि ने उन्हें अपने जिलों में तथा राज्य की राजधानी लखनऊ में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की पैरोकारी के लिए सक्षम बनाया। प्रत्येक वर्ष, हजारों महिलाओं ने स्थानीय जिला संवादों में भाग लिया जहां उन्होंने अपने निगरानी के आंकड़ों को स्वास्थ्य अधिकारियों, प्रशासकों और निर्वाचित नेताओं के सामने जमीनी सुझाव के रूप में प्रस्तुत किया। इसके माध्यम से उन्होंने भविष्य में भी सरकार के साथ सहयोग का एक भरोसेमंद माहौल का निर्माण किया। साथ ही उन्होंने अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, तथा प्रधान आदि और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ भी सहयोग करने की कोशिश की ताकि स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थानीय सेवाओं का बेहतरीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

परिशिष्ट

जनसुनवाई कार्यक्रम में बोलीं शबाना

सबसे बड़ी समस्या प्रसव के दौरान होने वाली मौतें

स्वास्थ्य विभाग आजमगढ़ के मामले में कार्रवाई करे

नहीं थम रही मातृ-मृत्यु दर

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बदतर

महिला स्वास्थ्य अधिकार पर सेमिनार

मातृत्व मृत्युदर में कमी लाने के लिए संस्थाओं ने लिया संकल्प

प्रतिवर्षचालीसहजारमहिलाएं मरतीहैंप्रसवदौरान

व्यवस्था सुधरे, ताकि औरतों की जान बच सके

महिलाओं ने सुनाई अपनी दर्द भरी दास्तान, सरकारी व्यवस्था पर प्रहार

महिलाओं ने बताया अपनी पीड़ा

स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों महिलाएँ

अफसरों को फटकार

विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जागरुकता अभियान

गौर फरमाएं

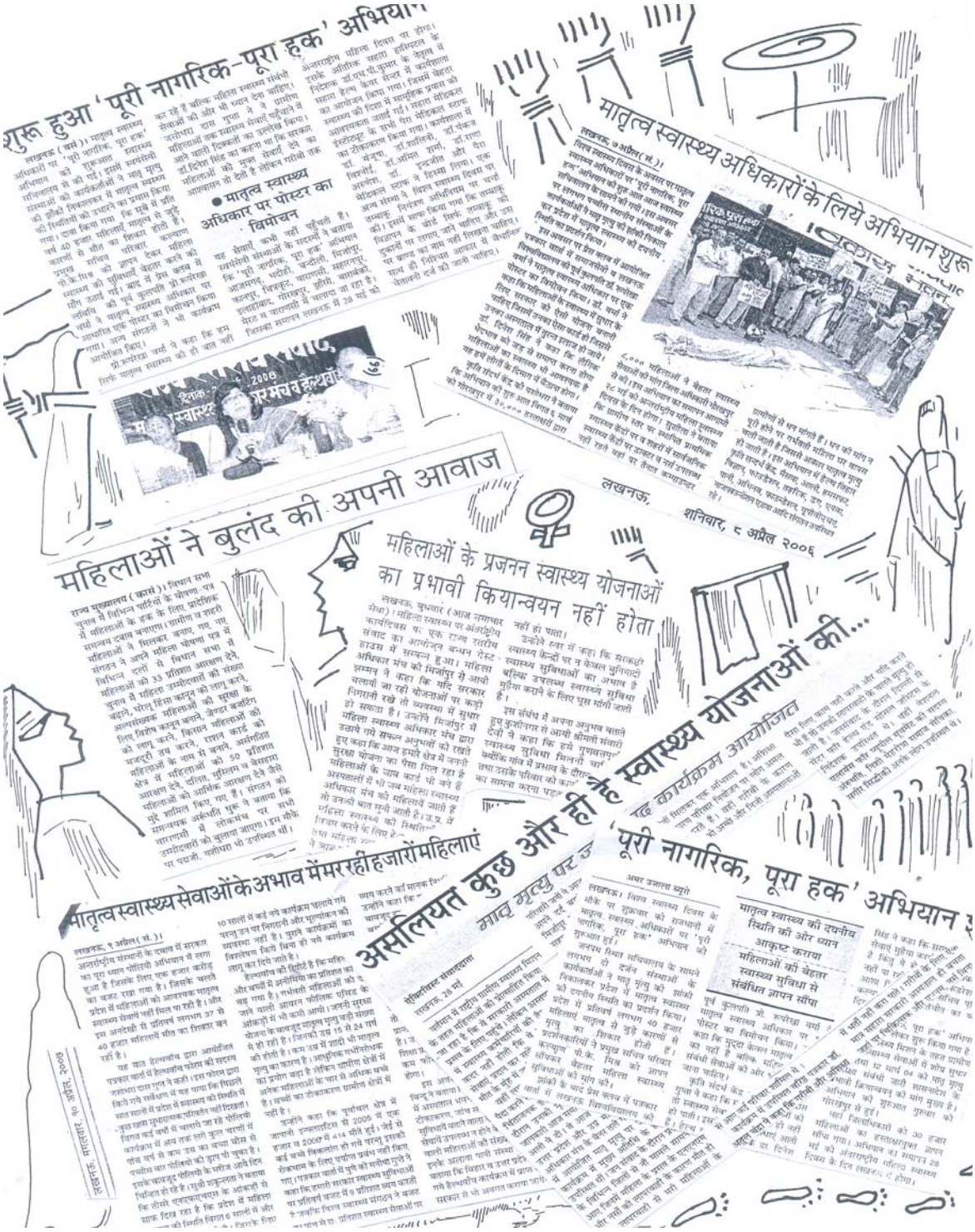
शुरू हुआ 'पूरी नागरिक-पूरा हक' अभियान

मातृत्व स्वास्थ्य अधिकारों के लिये अभियान शुरू

महिलाओं ने बुलंद की अपनी आवाज

महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य योजनाओं का प्रभावी कियान्वयन नहीं होता

मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में मर रहीं हजारों महिलाएं

असलियत कुछ और ही है स्वास्थ्य योजनाओं की...

'पूरी नागरिक, पूरा हक' अभियान

मांग पत्र (सन्–2009)

हम उत्तर प्रदेश की 8,000 महिलायें, महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की सदस्य हैं और पिछले 4 सालों से प्रदेश में मातृ स्वास्थ्य की बेहतर स्थिति के लिए प्रयासरत हैं। हम उत्तर प्रदेश में मातृ स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने हेतु सरकार किये गये प्रयासों की सराहना करते हैं और प्रदेश में मातृ मृत्यु की गिर रही दर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सक्रिय है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी अनियमितितायें हैं जिन्हें दूर करना बहुत आवश्यक है। हम महिलाओं को अपने क्षेत्र में कई ऐसे अनुभव हो रहे हैं जो मातृ स्वास्थ्य की ख़राब स्थिति के लिए ज़िम्मेदार हैं अतः हम इन अनुभवों के आधार पर आपसे मांग करते हैं कि:

◆ घरेलू प्रसव को सुरक्षित बनाना

1. हर गांव में एक प्रशिक्षित दाई की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि प्रसव का कोई निश्चित समय नहीं होता है। रात को ए0एन0एम0 या आशा तो आती नहीं है और अस्पताल ले जाने के लिए साधन खोजने में देर हो जाती है।
2. घरेलू प्रसव के लिए दी जाने वाली राशि बहुत कम है एवं घर में प्रसव कराने वाली महिलाओं के साथ यह एक भेदभाव है। अतः घरेलू प्रसव के लिए दी जाने वाली राशि बढ़ायी जाय साथ ही इसके लिए निर्धारित मानकों को हटा दिया जाय। 9 ज़िलों में किये गये एक अध्ययन के अनुसार कुल 329 महिलाओं में से सिर्फ 13 महिलाओं को ही मातृत्व लाभ योजना का पैसा मिला।

◆ अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव

1. प्रसव के समय महिला को अस्पताल ले जाने के लिए साधन की व्यवस्था सरकार द्वारा ही दी जाये। चाहे घर से अस्पताल जाना हो अथवा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में रेफर करना हो
2. एन.आर.एच.एम. के तहत आशा को दिया जाने वाला यातायात खर्च सीधे परिवार के लोगों को ही दिया जाये।
3. जिन महिलाओं को प्रसव पीड़ा शुरू हो गयी है, उनके अस्पताल पहुंचने पर उन्हें भर्ती कर लिया जाये। ज़रूरत के अनुसार अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ायी जाये। यदि महिला का प्रसव अस्पताल आते समय रास्ते में हो गया है तो उसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सम्बन्धित अस्पताल की होनी चाहिए, और दी जाने वाली सभी सुविधायें भी उस महिला को मुहैया कराई जाये।

◆ दस्तावेज़ीकरण को और मज़बूत करने के लिए

1. हर महिला को दिये जाने वाले जच्चा–बच्चा कार्ड पर सीरियल नम्बर छापा जाय। महिला की गर्भावस्था का पंजीकरण होते ही कार्ड की संख्या पंजीकरण रजिस्टर में अंकित हो जाना चाहिए।

इससे उस गर्भ का क्या नतीजा होता है, उसकी पहचान करना आसान हो जायेगा।

2. आज के दिन महिलाओं के पास अस्पताल में भर्ती के कोई सबूत उपलब्ध नहीं होते। इसलिए महिला को भर्ती करते ही रजिस्ट्रेशन स्लीप अनिवार्य रूप से दी जाय, रजिस्ट्रेशन स्लीप में ही महिला की जॉच रिपोर्ट भी लिखी जाये।
3. रेफरल की जा रही महिला को रेफरल स्लीप देना अनिवार्य हो जिसमें रेफरल का कारण भी लिखित हो।
4. अस्पताल में दाखिल होने के बाद यदि मरीज को बाहर से कोई भी दवा खरीदने के लिए कहा जाये तो डॉक्टर के द्वारा लिखा हुआ औपचारिक पर्चा/प्रेस्क्रिपशन देना अनिर्वाय किया जाये।

◆ सेवाओं की गुणवत्ता

1. हर अस्पताल में साफ–सफाई, पानी, शौचालय, तथा बिजली एवं सुरक्षा की समुचित व्यवस्था हो।
2. त्यौहार अथवा अन्य किसी अवकाश के दिन भी अस्पताल में सेवा कर्मियों का उपस्थित रहना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय जिसके तहत 24x7 सेवायें सुनिश्चित हो सके।
3. सुरक्षित प्रसव के प्रबन्धन के लिए अस्पताल में तैनात सम्बन्धित सेवा प्रदाताओं की विशेष प्रशिक्षण तत्काल आयोजित की जाय। प्रशिक्षण में आवश्यक विषय–वस्तु शामिल हो जैसे–
    - आपातकालीन परिस्थितियों की पहचान तथा तत्काल प्रबन्धन,
    - रेफरल का सही तरीका
    - सेवाओं की गुणवत्ता के सरकारी मानक
    - मरीजों के साथ उचित व्यवहार

◆ समस्याओं का समाधान

1. रोगी कल्याण समितियों को तुरन्त सक्रिय किया जाय। समिति के सदस्यों की सूची हर पी.एच.सी. तथा सी.एच.सी. पर चस्पा की जाय ताकि समस्या होने पर शिकायतों की सुनवाई हो सके।
2. समस्याओं के समाधान के लिए हर जिले में एक हैल्पलाइन नम्बर हो जिसे हर स्वास्थ्य केन्द्र के बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य हो। समस्या की सूचना मिलते ही एक घण्टे के अन्दर समाधान की कारवाई की जाय।

हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की महिलाओं के स्वास्थ्य हित में की गयी मांगों पर आप अपने स्तर से शीघ्र कारवाई के निर्देश देंगे, ताकि प्रदेश में मातृ स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर हो सके। हम प्रदेश में सुधर रही स्थिति हेतु पुनः आपको बधाई देते है।

हम सभी उत्तर प्रदेश के 12 ज़िलों में महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच की सभी महिलायें और मुद्दे से सरोकार रखने वाले लोग इन मॉगों का समर्थन करते हैं।

महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच से जुड़ी साथी संस्थाएं

- संकल्प सामाजिक संस्थान, जौनपुर
- असीसी हेल्थ सेन्टर, बरेली
- ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान, आजमगढ़
- शिखर प्रशिक्षण संस्थान, मिर्जापुर
- पी0 जी0 एस0 एस0, कुशीनगर
- बाबा रामकरनदास ग्रामीण विकास समिति, गोरखपुर
- तरुण विकास संस्थान, बांदा
- ग्राम्या संस्थान, चंदौली
- इब्तेदा संस्थान, चित्रकूट
- अस्तित्व सामाजिक संस्थान, मुज़फ्फरनगर

महिला स्वास्थ्य अधिकार मंच, उत्तर प्रदेश
सचिवालय :
सहयोग, ए – 240, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
फोन : 0522 – 2310860, 2310747, फैक्स : 0522 – 2341319
E-mail : kritirc@sahayogindia.org Website : www.sahayogindia.org